MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, the question is.

"That leave be granted to Shri N. K. Sanghi to withdraw his Bill".

The motion was adopted

SHRI N. K. SANGHI. Sir, I withdraw the Bill.

15.30 hrs.

REPRESENTATION OF THE PEOPLE (AMENDMENT) BILL

(Amendment of section 8) by Shrimati Subhdara Joshi

MR DEPUTY-SPEAKER Now, we shall take up the Bill further to amend the Representation of the People Act, 1951 by Shrimati Subhadra Joshi.

श्रीमती सुभद्रा जोशी (चादनी चौक) उपाध्यक्ष महोदय, मै "रिप्रजेंन्टैशन आफ़ दी पियूपिल एक्ट, 1951" को आगे अमेन्ड करने के लिये अपना बिल मूव करती हू ।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछली लोक सभा के सदन ने एक ऐसा कानून पास किया था जो क्रिमनल-ला-एमेन्डमेट बिल के नाम से जाना जाता है। उसके अन्दर जो धारा 153 (बी) जोडी गई थी, उसके मुताबिक अनलाफुल एक्टिविटीज की परिभाषा भी बदल दी गई थी और यह कहा गया था कि जो लोग ऐसी ड्रिल्ज, एक्सरसाइज या इस किस्म, की हरकते करें, जो क्रिमनल ला एमेन्डमेंट बिल के अनुसार अपराध हो तो उनको भी 153 (बी) के अन्तंगत लिया गया था। उसका उददेश्य यह था कि जो लोग प्रोपेगन्डा करें, जाति के नाम से, धर्म के नाम से, रेस के नाम से, भाषा के नाम से मनफरत फैलाये, उसके लिए ड्रिल्ज या एक्सरसाइज करें जिससे कि दूसरे लोग डरे और उनमें नफ़रत फैले तो क्रिमनल कोड के मताबिक उसको भी अपराध समझा जाये। उस समय होम मिनिस्टर साहब ने यह कहा था—यह इस लिये आवश्यक है कि अगर एक आदमी किसी दूसरे को नुकसान पहुचाता है या उसके खिलाफ प्रचार करता है तो सजा पा सकता है। लेकिन अगर कोई समूह उस अपराध को करता है, तो वह कुसूर नही समझा जाता है, तो इस उददेश्य से वह कानून पास किया गया था।

15.32 hrs

[SHRI K N TIWARY *in the Chair*]

मेरा जो अमेन्डमेन्ट पियुपिल रिप्रेज़ेन्टेशन एक्ट मे है, वह यह है कि जिस तरह से आप ने इस कानून की धारा 152 (ए) के अन्तर्गत ऐसे व्यक्ति के लिये सजा रखी है कि वह 6 साल के लिये डिस्क्वालिफाई कर दिया जाता है, किसी विधान-सभा या लोक-सभा के चुनाव के लिए खडा नही हो सकता, उसी तरह मे आपने जो क्रिमनल ला एमेन्डमेट बिल पास किया था और उसमे जो दूसरी धारा 153 (बी) जोडी थी, उसी तरह की व्यवस्था इसमे भी हो कि जो 153 (बी) के मुताबिक सजा पा जायेगा उसको भी विधान सभा या लोक सभा मे या ऐसी जगहो मे लोगो का प्रतिनिधित्व करने की इजाजत नही होगी और वह भी 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा।

सभापति महोदय, यह कानून इतना आवश्यक था कि लोक सभा ने उस को पास कर के अपना कर्त्तव्य तो पूरा कर दिया लेकिन उस कानून को सरकार ने अभी तक लागू नही किया है । इस तरह नफरत फैलाने या दगे फिसाद कराने के पीछे क्या उद्देश्य है ? ये दगे फिसाद, जो कभी भाषा के नाम से, कभी धर्म के नाम से, कभी रिजन के नाम से, कभी सूबे के नाम से—इस लिये फैलाये जाते है कि वे लोग उस के जरिये ताकत मे आने की कोशिश करते है । अगर लोक सभा ऐसा कानून बना दे कि जो लोग पावर

मे नही आ सके, उन की डिस्क्वालिफाई कर दिया जाए तो वे लोग आगे नही बढ़ सकेंगे और समझ जाएंगे कि ऐसा करने मे हमे कोई फायदा नही है और ऐसा कर के हम पावर मे नही आ सकते है ।

सभापति महोदय, ये जो तरकीबे है—ये राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिये इस्तेमाल की जाती है, इस को सभी सदस्य जानते है । परन्तु इस तरह से पावर मे आना और इस तरह की हरकते करना जम्हूरियत के खिलाफ है, देश के खिलाफ है और मैं तो यह कहूंगी कि वह इन्सानियत के भी खिलाफ है। इस लिये इस चीज को रोकने के लिये सब मे पहला कदम यह उठाना चाहिये कि ये लोग राजनीतिक सत्ता हासिल न कर सकें । ये लोग राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिये ऐसे काम करते है और अगर राजनीतिक सत्ता हासिल नही हो पाती है, अगर हार भी जाते है तो भी नुकसान करते है । हार जाते है तो फिर ऐसी हरकते करते है, ऐसे काम करते है—जो लोग जनता की राय से, लोकमत से जीत कर जाते है, बहुसख्या मे जाते हैं, ये जम्हूरियत के दुश्मन उन लोगो को काम नही करने देते और ऐसे तरीके अख्तियार करते है जिस से वे लोग काम नही कर पाते ।

इन की ज्यादा चर्चा मैं क्या करूं । पिछली लोक सभा का चुनाव हुआ, एक जमायत जो बहुसख्या मे जीत कर आई तो रोज लोक सभा के अन्दर ये ताने दिये जाने लगे कि आप की सख्या बहुत आ गई है, जैसे कि बहुसख्या मे आजाना कोई कुसूर हो गया है, अपराध हो गया है । उस के बाद सारे देश मे यह कोशिश की जाती रही—जैसाकि आप ने देखा, आसाम मे भाषा के नाम पर दगे करवाये जा रहे है, आध्र प्रदेश मे किसी और बहाने से दगे करवाये जा रहे है, बम्बई मे चुनाव के पहले भी दगे करवाये और चुनाव जीत कर आये तो फिर दगे करवाये जा रहे है ।

उस्मानिया यूनीवर्सिटी मे जार्ज रेड्डी को कत्ल कर दिया गया और दुनिया जानती है कि यह राष्ट्रीय स्वय सेवक सघ का कारनामा था, उन की हरकते थी । अलीगढ यूनीवर्सिटी मे कानून का बहाना लेकर उधम कराने की कोशिश की गई । दिल्ली यूनीवर्सिटी मे आपने और हम ने देखा कितने उत्पात मचे कही बस हिजैक की गई, किसी का घोडा मारा गया, एक दुखिया मजदूर की औरत मर गई । सरकार को मालूम है कि ये उत्पात कौन लोग करते है लेकिन फिर भी उनके खिलाफ कार्यवाही न कर—यह मेरी समझ मे नही आता है ।

सभापति महोदय आप जानते है कि बनारस यूनीवर्सिटी की रोज यहा चर्चा होती है लोक सभा के अन्दर भी और बाहर भी, वहा क्या हो रहा है—इस अखबार के एडीटोरियल को देखिये, जो काग्रसी अखबार नही है—इस मे लिखा है —

'It is no secret that these organisations the R S S, Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad and the Samajwadi Yuvajan Sabha—have been opposing every attempt to ease their stranglehold over the university and making every effort to disrupt its working They rejected the new constitution for the Students' Union becase, it vested effective authority in the general Students' Council rather than in the president and secretary They prevented city buses from plying within the campus so that students were inconvenienced They boycotted meetings between student representatives and the authorities including the teachers They drew up a list of over 30 demands, many of them blatantly unreasonable ' etc.

[श्रीमती सुभद्रा जोशी]

और डिमाण्ड भी थी कि जो स्टूडेन्ट्स फेल हो गये है उन को पास कर देना चाहिये। कहने का मतलब यह कि राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ की कार्यवाहियो से, करतूतो से सारी दुनिया वाकिफ है। उन के अपने तरीके है, अपने अखबार है और सारे देश को यह मालूम है कि वे लोग उपद्रव कराने की कोशिश कर रहे है। आंध्र प्रदेश के कन्लो गारन मे जो इनका हाथ रहा उससे भी सरकार काफी परिचित हो चुकी है। सरकार की अपनी रिपोर्ट मे खबरे है कि वहा पर राष्ट्रीय स्वय सेवक सघ ऊधम मचाने के पीछे था। मैं अखबार से महाराष्ट्र की रिपोर्ट आपने सामने रखना चाहती हू जिसमे लिखा है कि किस तरह से जलगाव मे फिर दगे की तैयारी कर चुके है, यह वही जलगाव है जहा दो वर्ष पहले औरो के साथ एक औरत के चार बच्चो को भी जिन्दा जला दिया गया था। उसी कलक का टीका हमारे माथे पर लगा हुआ है। इसमे लिखा है कई हजार लोग वहा जाकर जलगाव मे एकत्र हो रहे है, मीटिग्ज कर रहे है। एक आध दफा और दगे करवा चुके है और फिर दगे की तैयारी मे है। तो चकि सरकार कदम नही उठा रही है और जो कानून पास किए थे, प्रतिबन्ध लगाने के लिए क पास करने के बाद भी इन जमातो पर प्रतिबन्ध नही लगा है। इन जमातो पर प्रतिबन्ध न लगाने से ही उनकी जुर्रत बढ गई है और दगो पर दगे करवाये जा रहे है। पिछले हफ्ते मे मुझे उत्तर प्रदेश मे गोंडा जाने का मौका मिला तो वहा जाकर मैंने देखा कि राष्ट्रीय स्वय सघ के नाम से इतने खराब खराब पर्चे गाडा और उनके आस पास बाटे जा रहे है कि उनको देख कर भला आदमी भी सोचता है कि शायद झगडा करना ही मुनासिब है। इस तरह से वहा भडकाने की कोशिश की जा रही है। गोंडा मे तो सरकारी कर्मचारियों ने दगा रोक दिया लेकिन वहा से बीस मील दूर पर इन्होंने एक दगा करवा दिया। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि ऐसी जमातो पर प्रतिबन्ध लगना चाहिए और पीपुल्स रिप्रेजेन्टेशन ऐक्ट मे सशोधन करके उनको डिसक्वालिफाई करना चाहिए।

दूसरे जो प्रतिक्रियावादी लोग है, तरक्की के खिलाफ है, जो देश की उन्नति के खिलाफ है, जो परिवर्तन लाने के खिलाफ है उनकी भी यह कोशिश रहती है, वह भी इन जमातो का इस्तेमाल करते है है, पिछले दिनो मे सरकार ने गल्ले के व्यापार को अपने हाथ मे लेने का इरादा किया तो चाहे बम्बई हो, दिल्ली हो या कोई दूसरा शहर हो वहा पर कौन लोग है जोकि आर० एस० एस० को शिव सेना को या मुस्लिम लीग को पैसा देते है और इन जमातो को इस्तमाल करने की कोशिश करते है। यही प्रतिक्रियावादी लोग है जोकि ऐसा करते है।

एक बात और है कि पिछले दिनो मे सी आई ए के एजेन्ट्स की बहुत चर्चा हुई और सरकार ने लोगो को चेतावनी दी कि सी आई ए एजेन्ट्स से जनता होशियार रहे। मै मत्री जी का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहती हू कि जो साहबान अमरीका के थे एक है जीनए कुर्रन और दूसरे है क्रेग बैक्सटर। दोनो ने किताब लिखी थी। जीन कुर्रन जिन्होने किताब लिखी वह एशिया और अफ्रीका मे सी आई ए के फार्मर हेड थे। क्रेग बेक्सटर यू० एस० इम्बैसी, नई दिल्ली मे काम करते थे। जब वह यहां थे तब स्टडी करते रहे जब यहा से चले गए तो उनकी जगह पर शेफर और हैगर्टी साहब आये, वह भी उनकी मदद करते रहे। यह दोनों लोग जनसघ के बारे मे स्टडी कर रहे थे। बैक्सटरसाहब ने जो भी लिखा है उसमे धन्यवाद दिया है उन लोगो को जिन्होंने किताब लिखने में और स्टडी करने मे उनको मदद दी है। उन्होंने कहा है कि जनसघ के तीन व्यक्तियों ने मुझे मदद करने मे अपना काफी समय

व्यतीत किया है । उसमे श्री लाल० के० अडवानी, चेयरमैन मेट्रिपोलिटन कौसिल, श्री बलराज मधोक और श्री जगदीश माथुर, आफिस के सेक्रेटरी वगैरह है। मेरी अर्ज यह है कि देखने की बात यह है कि यह किताबे कब लिखी गई जब कि कर्रन साहब ने स्टडी करके अन्दाजा लगाया और सलाह दी कि जनसघ जो है, आर एस एस जो है वह इस तरह से काम नही कर सकेगा । और किताब उन्होने लिखी उसको पढा जाये । कुर्रन साहब ने जब किताब लिखी उसके बाद आर एस एस ने जनसघ को जन्म दिया । उसके परिणामस्वरूप जनसघ को पैदायश हुई । जब क्रेग बैक्सटर ने किताब लिखी (व्यवधान) तो उन्होंने लिखा है कि जनसघ अकेले नही चला पायेगा । जब क्रेग बैक्सटर की किताब निकली उसके बाद ग्रान्ड एलायन्स हिन्दुस्तान मे हुई । तो मैं आपके जरिये से मत्री महोदय से अर्ज करना चाहती हू कि होम मिनिस्ट्री की खबरे रखने का तो मेरे पास कोई सवाल नही है यह इन्फार्मेशन और यह किताबे तो वहा पर पालिसी बनाती है, उनको आर एस एस और दूसरी जमाते यहा पर लागू करती है, तो आखिर वह एजेन्सी कोन सी है । अगर एजेन्सी नही ले रखी है कि उनके कहने से हिन्दुस्तान को तबाह करवाये तो फिर एजेन्सी और होती क्या है ? यू० एस० ए० ने कोशिश की हिन्दुस्तान के खिलाफ काम करके और पाकिस्तान का साथ देकर कि हिन्दुस्तान की सरकार को दबाया जाये लेकिन सरकार न दबने से इन्कार कर दिया उन्होंने ऐसा वातावरण पैदा कर दिया कि जनता भूखा मर रही है ताकि सरकार को घुटने टेकने पडे अमरीका के सामने लेकिन सरकार ने घुटने नही टेके बल्कि सरकार ने कहा कि उनके एजेन्ट जो यहा पर लोगो को भूखे मारकर ऐसा वातावरण पैदा करना चाहते है उसका हम मुकाबला करेगे उस सरकार ने कहा कि अनाज के व्यापार को हम अपने हाथ मे ले लेंगे । फिर उधर क्या हुआ ? जब सरकार ने यह फैसला किया तो अमरीका के ऊपर से पर्दा हटा और उन्होने फिर से खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान को हथियार देने शुरू कर दिए ।

तो मैं यह अर्ज करना चाहती हू कि हिन्दुस्तान मे यह जो फिर्काप्रस्त जमाते है, चाहे वह आर एस एस हो या जमाते इस्लामी हो—यह लोग हिन्दुस्तान मे शान्ति के दुश्मन है, यह हिन्दुस्तान की प्रगति के दुश्मन है, हिन्दुस्तान की उन्नति के दुश्मन है, चाहे यह दुशमन हिन्दुस्तान से बाहर के है या फिर हिन्दुस्तान मे उनकी जो एजेन्सी करत है वह लोग है । मैं सरकार से अर्ज करूगी कि एक तो पहले जो बिल पास हुआ था, इसी हाउस से इजाज़ लो थी जिसमे आपको अख्तियार हो कि ऐसी जमातो पर प्रतिबध लगा सके तो उससे पार्लमेन्ट ने अपना फर्ज पूरा कर दिया था लेकिन सरकार को अपना फर्ज पूरा करना अभी बाकी है । क्या मै जान सकती हू कि आखिर कोई हिसाब किताब रखा है कि हिन्दुस्तान मे कितने लोगों को मरवायेगे जिसके बाद हिसा का खातम करेगे । इसलिए एक तो उसको लागू करे तथा सभी कानूनो का इस्तेमाल करे और जो अमेन्डमेन्ट मैंने आपके सामने रखी वह इम्प्लीमेन्टेशन का थोडा सा एक हिस्सा है ताकि ऐसे लोगो को विधान सभा, मे, लोकसभा मे या ऐसी और जगहा पर आने का अख्तियार न हो और यह उनके सामने एक लालच रहे, इसकी तरफ उनका ध्यान जायेगा । जिस तरह से और बातो के लिए डिस-क्वालिफाई किया जाता है उसी तरह से इसके लिए भी डिस-क्वालिफाई किया जाये ताकि यह समझे कि वह लोगो की नमाइन्दगी करने के लायक नही है । इसी मतलब से मैंने आपके सामने यह एमेन्डमेन्ट पेश की है ।

MR. CHAIRMAN. Motion *moved*.

"That the Bill further to amend the Representation of the People

[Mr. Chairman]

Act, 1951, be taken into consideration."

There is one amendment by Shri Daga. Is he moving it?

SHRI M. C. DAGA (Pali): Yes I beg to move:

"That the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 3rd October, 1973." (1)

SHRI S. P. BHATTACHARYYA (Uluberia): Mr. Chairman, Sir, I fully support the spirit of the mover of this Bill about ending hatred among the people. The communal spirit should be curbed. But I think the method she has adopted, namely, amendment of the Representation of the People Act, is not fair. What I feel is that these things are going in in our country for quite some time and it is only democratic sense in the people that will save this country from this problem.

Only those laws should be enacted which can be implemented. In spite of the existence of various laws, we have seen during the last few years that so many people belonging to the Scheduled Castes and Tribes have been tortured or killed. But nothing has been done. I had been to Rupaspur village in Purnia district. There, the houses of Scheduled Caste peasants have been burnt. Yet, nothing has been done there. Only by changing some Act, do you think that you can save this country from these inhuman feelings and ideas? It is not possible. It will be, in the present situation, taken otherwise, because police, in general, does not help the healthy development of the people's forces. They utilise the sections only to suppress the forces which are against the ruling Party or against the interests of the ruling party. They do not utilise the Acts for the interest of the people in general or for the defence of democracy in general, but they utilise the Acts only to help the ruling party which they think is favourable. I will give an example, the example of the peasant leader, Shri Binai Konar of Burdwan district. There was a murder. But no FIR was given against him. After a few months, Shri Binai Konar was suspected to be linked with the murder and he is put in the jail. Everyone knows that it is a false case. But the Police has the power to put him in the jail and still he is rotting in the jail. We know that it is false. Therefore, we cannot think of police in West Bengal acting for the good of the people.

Last year, Mrs. Geeta Chatterjee met our Prime Minister. She was tortured and molested, her husband was killed. The police knew the guilty persons, but they have not been arrested Do you think that the police will help to consolidate our democratic strength, to make the atmosphere healthy? Never. Only a strong democratic sense can save our country from these corrupt things and that should be developed It cannot be done by enactment. I support the spirit of the Bill that these bad things must go out of the country and the enmies of our country must not taken the opportunity to disrrupt the unity of our country. But amendment of the Act is not the way to do that The only way by which it can be achieved is by strengthening the consciousness and democratic sense of the people. Therefore, I oppose the Bill, in spite of my supporting the spirit.

श्री शशि भूषण (दक्षिण दिल्ली) : मान्यवर, में इस बिल का हार्दिक समर्थन करता हूं क्योंकि इस बिल की जो प्रेषक है उन्होंने ारत के इतिहास में साम्प्रदायवाद के खिलाफ़ अपना जीवन योग दिया है। मै इस बात से सहमत हू कि हमारी जमात जिम्मेदार है कि हम ने साम्प्रदायिकता को जितनी सख्ती के साथ खत्म करना चाहिए था, नहीं किया। मुझे भारत में साम्प्रदायिक सस्थाओं से उन के जो साम्प्रदायिक सैनिक

ग हैं उनसे उतनी शिकायत नहीं है, जितनी अपने लोगो से शिकायत है कि उन्होने इनको वक्त पर नहीं दबाया और आज भी वक्त आ गया है कि हम उन लोगो को जो राष्ट्र हितो के खिलाफ फिरकापरस्ती का काम करते है, लोगो मे नफरत फैलाते है उन्हे सख्ती से दबाया जाए।

कुछ धार्मिक साम्प्रदायिक जमाते धर्म के नाम पर सुबह शाम पैरेड करती हैं। उनके इतिहास को देखा जाए तो कभी वह अग्रेजो की चौकीदारी करते रहे अग्रेज। शासन मे हिन्दुओ को विदेशी सेना मे भर्ती कराते रहे और उस वक्त की जो मुस्लिम साम्प्रदायिक सस्थाये थी वह अग्रेजो की मदद करते रहे, उनकी चौकीदारी करते रहे। देश आजाद हुआ तो उसकी आजादी मे हिस्सा नही लिया तो कम से कम देश के निर्माण मे ही हाथ बटाते। लेकिन वह भी नही किया। पता लगा कि राजा, महाराजाओ की चौकीदारी कर रहे हैं। राजा, महाराजाओ को बचाने के लिए यह हिन्दू मिलिट्री आर्गनाइजशन ने किसानो को मारा गरीबो को मारा, लेकिन राजा नही बचे। इत्तफाक की बात है कि ऐसी भस्मासुर जमात है कि जिसका साथ देती है उसी का बेडा गरक हो जाता है। अग्रेजो का बडा गरक किया, राजाओ और बडे जमीदारो का बडा गरक किया उनका साथ देकर।

15 57 hrs

[SHRI S A KADER in the Chair]

अभी परसो की बात है दिल्ली मे अनाज के व्यापार को सरकार ने अपने हाथ मे लिया, यह तक सामाजिक क्रान्ति है, उसको लेने के सबब से भारत के तमाम ब्लैक मार्केटियर्स ने बहुत बडी हडताल की। चलो ठीक है, लेकिन उस हडताल में यही जमात जो सुबह पैरेड करती है नेकर पहन कर, उसने दिल्ली के दो प्रमुख नेता है, कारपोरेशन के सदस्य हैं, श्री बृजेन्द्र जैन और श्री जे० पी० गोयल

सभापति महोदय आप नाम क्यो लेते हैं।

श्री शशि भूषण उनके घरो के आगे इस जमात के लोगो ने 700, 800 की तादाद मे प्रदर्शन किया। वह लोग पटियाला गए हुए थे उनके घर वालो को गालिया दी और बहुत गलत व्यवहार किया। आज मुनाफाखोरो की रक्षा के लिए यह मिलिटेंट हिन्दू आर्गेनाइजेशन जो लोग सामाजिक क्रान्ति चाहते है उनके घरो के ऊपर हमला करती है। वह जो कुछ भी करते है किसी की रक्षा और किसी के इशारे पर करते है।

पिछले दिनो जब बंगला देश मे हमारे देश की जनता ने थोडा सा हिस्सा लिया और हमारा फर्ज था, उसके सबब से हमारे पडोस मे चीन एक बडा राष्ट्र है, उसके प्रधान-मन्त्री चाऊ-एन-लाई ने कहा कि अगर बागला देश मे हिस्सा लोगे तो आप अपने देश मे उस आग से जलोगे। और अमरीका के राष्ट्रपति ने भी वही कहा। अब उन्होने कहा शायद खामोश हो गये। लेकिन जो तुरन्त ही हिन्दुस्तान मे अखड भारत का नारा देते थे वही आज खड खड भारत का नारा देने लगे।

श्री आर० वी० बडे (खारगोन) माननीय अटल जी ने कहा हमारी नेता इदिरा गाधी है।

श्री शशि भूषण मेने तो जनसघ या आर० एस० एस० का नाम नही लिया। पडित जी पता नही क्यो चिढ गये। अखड भारत से खड खड का नारा हुआ लद्दाख अलग हो जाए, कश्मीर अलग हो जाए, पजाब हरियाणा देशभक्त को जलाकर अलग किया गया। उसके बाद यू० पी०, बिहार के हिस्से किए जाएँ ऐसी माग भी उठ रही है। श्री बलराज मधोक जनसघ को

[श्री शशि भूषण]

फासिस्ट पार्टी कहते हैं। पता नही कौन फासिस्ट है। आज आन्ध्र को बाटने की बात कह रहे है। जो सी० आई० ए० और चाइनीज इटलीजेस मिल कर काम कर रहे है इनसे सावधान रहना चाहिए। चूकि निक्सन साहब चाइना गए तो उन्ही का साथ देने लगे। तो जब बडा साम्राज्यवादी देश किसी दूसरे के साथ देने लगता है तो उनके साथ मिलकर परेड करने लगते है। लेकिन जो जनता के हितो की चीजें है उनके लिए जब पालियामेंट मे कोई आन्दोलन होता है उसका यह लोग विरोध करते है। चाहे बैंक राष्ट्रीयकरण का मसला हो चाहे कोई और जनहित की बात हो यह लोग तथाकथित राष्ट्रवादी चौकीदार है, साम्प्रदायिकतावादियो के चौकीदार हैं, साम्राज्यवादियो के चौकीदार है आढतियो के, राजाओ के, जागीरदारो के और मुनाफाखोरो के तथा विदेशी सरमायेदारो के चौकीदार हैं यह सुबह मे शाम परेड करते है।

इनको तीस साल परेड करते हो गए है। लेकिन कभी इन्होने गरीब जनता की बात सामने नही रखी है। ये हिन्दू मुसलमानो का गला काटेंगे, हिन्दू सिखो का काटेंगे, जहा भी साम्प्रदायिकता होगी वहा उसका पूरा पूरा लाभ उठाएंगे। आप क्यो इस तरह की चीजो को बरदाश्त करते है? आर एस एस से मुझे कोई शिकायत नही है। गोलवलकर जी से कोई शिकायत नही है, बडे जी से कोई शिकायत नही है। हमको शिकायत अपनी जमायत से है जो भारत की तरक्की पसन्द ताकतो से है क्योकि हमने इनको आज तक क्यो बरदाश्त किया है? हमे शिकायत अपने आप से है। हमारे नेता पडित जवाहरलाल नेहरू एक प्रजातान्त्रिक व्यक्ति थे। उन्होने इनको बहुत मौका दिया कि किसी तरह ये अपने आपको सम्भाल लें लेकिन ये हमेशा देश में आग जलाते रहे हैं गाधी को मारने से लेकर आजतक इसतरह की घटनाओ से इतिहास भरा पडा है। देश के किसी भी कार्य मे इन्होंने मदद नही की है। हिन्दू पारसी को लडा दिया, हिन्दू सिख को लडा दिया। कोई जमायत नही छोडी। मुझे खुशी है कि जमायते इस्लामी कहती है कि जनसघ हिन्दू मुस्लिम फिसाद नही कराता और जनसघ कहता है कि जमायते इस्लामी फिसाद नही कराती। तब फिर फिसाद आसमान से होते है। दोनो मिलकर एक दूसरे को शाति सार्टिफिकेट दे रहे है। इनके आका कौन है? अग्रेजी जमाने में भी यह दोनो फिसाद कराते थे और एक ही घर मे रात का आपस मे मिल जुल कर बैठते थे। खरबूजा छुरी पर गिरे या छुरी खरबूजे पर गिरे बात एक ही है। दोनो एक दूसरे की तारीफ करे इससे कुछ फर्क नही पडता है। है यह चीज कम्युनल।

16.00 hrs.

पिछले दिनो मध्य प्रदेश मे आठ जनसघी एम एल एज को जिन मे फिलहाल राज्य सभा के मैम्बर सकलेजा भी थे, डिस्क्वालीफाई किया गया इस वास्ते कि ये पर्चे बाट रहे थे कि काग्रेस गाय कटवाती है। इसके बाद वह राज्य सभा मे आ गए। इतना होने पर भी अगर कोई राज्य सभा मे आ सकता है। पीपल्ज रिप्रिजेंटेशन मे मै चाहूगा कि इस बात के लिए सजा होनी चाहिए कि जो कम्युनल एक्ट करता है या करवाता है उसको चुनाव मे खडे होने का अधिकार नही होगा, तब तक इस तरह की गतिविधियो पर रोक लगाना कठिन होगा।

मैं चाहता हू कि देश रक्षा के लिए चाहे ये कुछ करे या न करे लेकिन कम से कम ये सेक्युलर तो रहें। फिर जो कुछ ये करना चाहते हैं करते रहें। सेक्युलर रहेंगे तो इनका इमेज अच्छा रहेगा। जनसंघ के जिन लोगो को डिस्क्वालीफाई किया गया इस वास्ते

कि कहीं कहते थे कि गाय काट रहे हैं, कहीं फोटो लगा रहे थे तथा इस तरह के घृणित कार्य कर रहे थे, वे लोग भी जीत कर आ गए है, राज्य सभा में आ गए हैं। इस वास्ते मैं समझता हू कि एक्ट मे तबदीली लाना बहुत जरूरी है। सरकार को चाहिए कि वह पुराने तजुर्बे से फायदा उठाकर एमेंडमेट लाए ताकि जो लोग देश मे साम्प्रदायिकता फैलाते है वे दोबारा इलेक्शन के लिए खड़े न हो सके।

ये सुबह मे शाम तक पैरेड ही नही करते हैं। ये इस ताक मे भी रहते है कि कही सरकार कोई तरक्की का रास्ता निकाले तो उसको बन्द करने की किस तरह से कोशिश की जाए। देश भर मे जो ब्लैकमार्किटियर्स है, जो होर्डर्ज है राजा महाराजा थे उनसे ये सत्याग्रह कराते है। हम तो पाच साल जेल मे रहे अंग्रेजो के जमाने मे लेकिन हमने किसी ने भी फूल की माला तक नही पहनाई। लेकिन ये क्या करते है? सुबह सरमायेदारो को लाते है, उनका फूल मालाएं पहनाते है, उनका आदर सतकार करते है, उनको जेल भिजवा देते है और शाम को दूध पीकर वे लोग बाहर आ जाते है। देश मे सरमायेदार सत्याग्रह करे, ब्लैक-मार्किटियर्स और होर्डर्ज सत्याग्रह करे तो हम और आप क्या करेगे? हम देखना चाहिए कि इस सब के पीछे भावना क्या है? मै सरकार से पूछना चाहता हू कि क्यो नही सरकार इस तरह के सत्याग्रह के ढोंग को खत्म करती है। जब सत्याग्रह कराते है तो फूल मालाए पहनाते है, तिलक कराते है और ऐसे सब काम करते है जैसे उनको फासी लगने जा रही हो। अटल जी को भगवान बड़ी उम्र दे। वह भी सुबह गए और शाम को आ गए। मैं चाहूंगा कि सत्याग्रह के इस ढोंग को खत्म किया जाए। अगर कोई सत्याग्रह करता है तो उसको कम से कम दो तीन महीने के लिए आपको जेल भेजना चाहिए। अगर आपने ऐसा किया तो ये सत्याग्रह करने का नाम नही लेंगे।

आजादी की लड़ाई चल रही थी उस वक्त वे अंग्रेजो की चौकीदारी कर रहे थे पैरेड कर रहे थे। अब यह ढोंग क्यो? मै चाहता हू कि जो—ढोंगी लोग सत्याग्रह करने आए उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि आराम से कोई काम तो चल सके।

जो मुनाफाखोरी ब्लैकमार्किटिंग करते आ रहे है और जो सुबह झंडा उठाकर सत्याग्रह करते है और पकड़े जाते है और शाम को छूट कर आ जाते है, उनमे से अगर कोई लोग चुनकर आ जाते है तो हम चाहते है उनके बारे मे आपको सोचना होगा। देश की आजादी के लिए सत्याग्रह के जिस पवित्र हथियार को अपनाया गया था उसको किसी को खराब करने की इजाजत नही होनी चाहिए। जो राष्ट्रीय आन्दोलन था उसमे इन लोगो का क्या रोल था, सब लोग जानते है।

लोग यह भी जानते है कि इनको चन्दा कैसे मिलता है। गुरु दक्षिणा के नाम पर जितना ब्लैक का पैसा है यह सब इकट्ठा कर लेते है। उसकी आज तक कोई जांच नही की गई है। इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स वाले पता नही क्या करते है। सब जानते है कि कहा से पैसा आ रहा है लेकिन कभी इनको हाथ नही लगाया जाता। छोटे छोटे और गरीब लोगो को आर्टिस्टो को पकड़ लिया जाता है। दो तीन करोड़ रुपया साल का प्राफिट इनके नेताओं को चाहे लोहे का लाइसेंस बेचकर होता हो, उन पर हाथ नही डाला जाता है। जो कम्युनल है उनको सरकार से कोई लाइसेंस भी नही मिलना चाहिए और जो मिले हुए है उनको जब्त कर लेना चाहिए क्योंकि

[श्री शशि भूषण]

वे लोग अराष्ट्रीय हैं। इनको व्यापार करने की इजाजत तो आप दें। लेकिन जिस दिन आप सख्ती करनी शुरू कर देंगे आप देखेंगे कि आधे से ज्यादा लोग जो पैसा देने वाले हैं, जो पैसा देने वाली ताकतें हैं, वे निकल जाएंगी।

बाहर से जो इनके पास पैसा आता है उसको रोकने के लिए भी सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिएं। कम से कम दस पन्द्रह करोड़ सालाना आता होगा। हिन्दुस्तान में आर एस एस के पास 60 करोड़ के लगभग है। उसकी आप जांच करें। वह रुपया चाहें गुरू दक्षिणा से लिया गया हो या किसी और तरीके से, उसकी जांच होनी चाहिए। जमायते इस्लामी देश भर में जो रुपया बांटती है, उसकी जांच होनी चाहिए ताकि देश में कम से कम कम्युनल रायट्स तो न हों सोशलिज्म विरोधी या पूंजीपति वादी जो ताकतें हैं उन से हम निपट लेंगे। साम्प्रदायिक लोगों से हमें सबसे ज्यादा देश का अहित नजर आता है। इनको रोकने के लिए होम मिनिस्टर ज्यादा तेजी से काम करें। देश की जनता ने हमें प्रबल बहुमत दिया है। हम क्यों नहीं इन पर बैन लगाते हैं, क्यों नहीं इनकी गतिविधियों को बन्द किया जाता है। सरकार को मैं इस बारे में सतर्क करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि जितनी जल्दी वह यह शुभ काम करेगी उतना ही ज्यादा अच्छा होगा।

श्री एम० सत्यनारायण राव (करीमनगर): सभापति महोदय, श्रीमती सुभद्रा जोशी ने जो बिल पेश किया है, उसके आबजेक्टिव, उद्देश्य, से मैं बिल्कुल सुत्तिफिक हूं। लेकिन उन्होंने अपने बिल में ड्रिल और एक्सरसाइज को प्राहिबिट करने के लिए जो प्राविज़न इनकार्पोरेट किया है, उससे कुछ फायदा नहीं होगा। हम जानते हैं कि आज हमारे देश में बच्चों के लिए ड्रिल या एक्सरसाइज़ की कोई व्यवस्था नहीं है। मुझसे पहले, और मेरे बचपन में भी, कुछ एक्सरसाइज़ कराई जाती थी, लेकिन आजकल तो स्कूलों और कालेजों में हाकी, फुटबाल, वालीबाल या किसी एक्सरसाइज का कोई इन्तजाम नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक्सरसाइज़ और ड्रिल से कोई नुकसान नहीं होगा। कम्युनल आर्गेनाइजेशन जो कम्युनल एक्टिविटीज़ में इनडल्ज कर रही हैं, उनको प्राहिबिट किया जाए और उसके लिए स्पेसिफ़िक प्राविज़न लाकर पनिश्मेंट रखी जाए। लेकिन ड्रिल या एक्सरसाइज को मना करने के कोई माने नहीं हैं और इसलिए मैं इस बात को अपोज़ करता हूं।

श्री शशि भूषण ने कहा है कि ये लोग रिजनलिज्म के आन्दोलनों में भी भाग लेने लग गए हैं। यह देखना चाहिए कि रिजनलिज्म क्यों आ रहा है। चूंकि आप लोग इन प्राबलम्ज़ को साल्व नहीं कर रहे हैं, इसलिए वे इसका फायदा उठा रहे हैं। जब श्री शशि भूषण जैसे प्राग्रेसिव इम्मेज वाले लोग जनता की मांगों का समर्थन नहीं करेंगे तो फिर जनता जनसंघ और स्वतन्त्र पार्टी वालों के पास जाएगी। जनता उन लोगों के पास जाएगी, जो उसकी फ़ीलिंग्ज़ को सपोर्ट करते हैं। आपको लोगों की फ़ीलिंग्ज़ को समझना चाहिए। यहां आलोचना करने का कोई फायदा नहीं है। इससे आपको नुकसान होगा और आपकी पार्टी बिल्कुल फ़िनिश हो जाएगी। आप तो यह सोच कर मुतमईन हो जाएंगे कि हम रिजनलिज्म को कनडेम कर रहे हैं, लेकिन उससे कुछ फायदा न होगा। अगर आप बेसिक प्राबलम्स को समझें और उसको हल करने की कोशिश करें, तो अच्छा होगा।

मैं ज्यादा समय न लेते हुए श्रीमती सुभद्रा जोशी से रिक्वेक्ट करूंगा कि वह इस बिल पर जोर न दें। इस बिल को यहां लाने का यह फायदा हुआ है कि उनका जो

आबजेक्शन है, वह लोकसभा के सामने आ गया है।

मुझे मौका देने के लिए मै आप का शुक्रिया अदा करता हू।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) सभापति महोदय, मै अपने सीनियर मेम्बर, श्री शशि भूषण के खयालात से इत्तिफाक करता हू। लेकिन मैं उन की एक बात से इख्तलाफ करता हू। उन्होने कहा है कि श्री रगा और श्री ममानी हमारे माननीय सदस्य, श्री पीलू मोदी, से अच्छे थे। मै इस को मानने के लिए तैयार नही हू। म कहना चाहता हू कि श्री पीलू मोदी उन दोनो से लाख दर्जा अच्छे है और म चाहता हू कि वह सारी उम्र लोक सभा मे रहे। वह लोक सभा के लिए एक एसेट है। मै श्री शशि भूषण से दरख्वास्त करूगा कि काग्रेस की तरफ से श्री पीलू मोदी के खिलाफ को कैंडीडेट न खडा किया जाये।

हिन्दुस्तान में कभी भी साम्प्रदायिकता नही रही है, चाहे वह अशोक और अकबर का जमाना हो, चाहे 1857 मे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जमाना हो और चाहे जवाहरलाल नेहरू का जमाना हो। लेकिन वक्त वक्त पर कुछ खुदगर्ज लोग हमारे मुल्क में इस किस्म के ख्यालात फैलाते रहे हैं, जिस का हम सब को रज है? हमारे मुल्क का बटवारा मजहब और धर्म के नाम पर हुआ। लेकिन आज भी हमारे मुल्क मे कुछ सियासी पार्टियां मजहब के नाम पर कायम की जा रही है। अगर अलग अलग पार्टियाँ इकानोमिक पालिसीज और प्रोग्राम को ले कर काम करें और उन मे काम्पीटीशन हो, तो इस पर किसी को एतराज नही हो सकता है। लेकिन बदकिस्मती से आज भी कुछ लोग पुराने ख्यालात के मुताबिक सोचते और काम करते हैं। मुस्लिम लीग आज भी कायम है। वह पाकिस्तान मे खत्म हो गई है, लेकिन हिन्दुस्तान मे खत्म नही हुई है। इसी तरह जमाते इस्लामी भी अभी तक कायम है।

मै मुस्लिम लीग के लोगो से अपील करूगा कि अगर वह अपना नाम बदल ल, तो यह मुल्क के लिए भी अच्छा होगा और उन के लिए भी अच्छा होगा। इस नाम से लोगो के सामने पुराने वाकयात आ जाते है। यह ठीक है कि उन्होने बम्बई मे कुछ सीटे हासिल कर ली है लेकिन यह हमेशा नही होने वाला है। उन्हे मुल्क की पोलीटिकल लाइफ के स्ट्रीम मे मिल जाना चाहिए।

SHRI C H MOHAMMED KOYA (Manjeri) Jan Sangh is a good name!

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी मुस्लिम लीग के मुकाबले मे हिन्दू महासभा थी। उ। जमाने मे हिन्दुस्तान मे गडबड करने वाली ये दो पार्टिया थी। हिन्दू महासभा का नामोनिशा तो श्री शशिभूषण जैसे लोगो ने मिटा दिया है। अगर जनसंघ मजहब और साम्प्रदायिकता के नाम पर वोट मागने के लिए निकलेगा, तो उस का नाम भी मिटाया जायेगा।

मै श्रीमती सुभद्रा जोशी की इस बात से इत्तिफाक नही करता हू कि कम्युनल पार्टीज को बैन कर दिया जाये। क्या कम्युनल पार्टीज से हम सेकुलर पार्टीज नही लड सकती हैं? जनसंघ को मैंने हराया है और उसके उम्मीदवार की डिपाजिट को जब्त कराया है। 1972 के इलैक्शन्ज में जनसंघ का एक कैंडीडेट भी नही जीता है। कम्युनल पार्टियो से लडने के लिए कांग्रेस के पास काफी ताकत है। उन को इधर-उधर जो थोडी बहुत कामयाबी मिल रही है, वह बहुत जल्द खत्म हो जायेगी। लोग देखेंगे कि किस पार्टी का इकानोमिक प्रोग्राम अच्छा है और वे उस पार्टी में उसी

[श्री एम० रामगोपाल रेड्डी]

प्रोग्राम पर अमल करने की शक्ति और नेकीनीयती भी है या नही ।

हमारी पब्लिक बहुत होशियार और समझदार है । वह जानती है कि किस पार्टी को वोट देना चाहिए और किस को नही देना चाहिए, किस पार्टी पर भरोसा करना चाहिये और किस पर नही करना चाहिए । डेमोक्रेसी मे फ्रीडम है और इस लिए डेमोक्रेसी मे किसी को बैन करना मै ठीक नही समझता हू । मुस्लिम लीग रहे, जनसघ रहे, आर० एस० एस० रहे कोई भी पार्टी रहे, हमे कोई डर नही है । इस वास्ते कि आध्र एक सिलसिला कायम कर चुका है जहा कि कोई भी कम्युनल पार्टी सफल नही हो सकती । छुटपुट कुछ लोग बम्बई म्यूनिसिपैलिटी मे जीत गए है । ऐसे ही पुराने हैदराबाद मे कुछ लोग जीत रहे है—(व्यवधान) । मेरा कहने का मतलब यह है कि मै लीग वालो से यह कह रहा हू कि आप की पार्टी को बैन करने के लिए मैं नही कह रहा हू । आप खुल कर आ -II । हम आप से लडने के लिए तैयार है । उसी तरह से मैं जन सघ से कह रहा हू क्योकि किसी के ऊपर पाबन्दी लगाकर उससे लडना हम अच्छा नही समझते (व्यवधान) यह मैं कहा रहा हू कि जितनी सैक्युलर पार्टीज है, सी पी आई है काग्रेस है, जो सैक्युलर व्यूज रखती है उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी आ जाती है क्योकि कम्युनल पार्टीज के खिलाफ अपने आइडियोलोजी को ले कर फाइट करना चाहिये और उसके लिए मासिस को तैयार करना चाहिये और मासिस तैयार हो गए है । आज कोई भी आदमी हिन्दू मुसलमान के नजरिये से सोचने के लिए देश में तैयार नही है । आज देश का आदमी यह सोचने लगा है कि आया यह पैसे वाला है, अपने पैसे से यह गरीबो को लूटता है या किस तरह से अपने पैसे को इस्तेमाल करता है ? मुल्क के वास्ते क्या गद्दारी करता है ? अपने मुल्कके सीक्रेटस को क्या दूसरे मुल्को तक पहुचाता है ? इस तरह की बात देश का आदमी सोचने और समझने लग गया है और यह खुशकिस्मती की बात है कि हिन्दुस्तान का आदमी होशियार हो गया है । आइन्दा से मजहब और धर्म के नाम पर चलने वाले लोगो का कुछ वश नही चलेगा । मुल्क में जितने भी धर्मों के लोग हैं । वेसब मिल कर आपस मे एक कुनबे की तरह से रह कर अपनी जिन्दगी बिताएगे, अपने देश का नाम बहुत रोशन करगे और उसे और ऊचा ले जाएगे ।

SHRI B R SHUKLA (Bahraich): At the outset I extend my congratulations to Shrimati Subhadra Joshi for introducing such an amendment before this House Perhaps hon Members have not carefully appreciated the limited purpose of this Bill In 1972 this House passed a Bill known as the Criminal Law Amendment Bill. According to the provisions of that Act, certain type of activities indulged in by certain persons or group of persons had been banned and they were made punishable under the Indian Penal Code All these a tivities which have been made penal are incorporated in section 153(B) which has been added to the Indian Penal Code

Now, it is said that the communal organisation has probably been banned or a certain caste organisation has been banned or certain linguistic activities have been banned My humble submission to the hon Members would be that these interpretations are not borne out by a reading of Section 153(b). In a democracy the people have a right to propagate their views, their own philosophy, their own culture etc But, when there are activities which are sought to be carried out in the name of religion, race or

language which create hatred or disharmony or animosity between different religious groups, racial groups or linguistic groups or which tend to create communal or racial or linguistic disharmony and violence in this country, then certainly, such activities fall within the mischief of Section 153(b). So, such persons, who indulge in such activities irrespective of their affiliations, should be punished In fact, punishment has been provided therefor in the Act

I am not discussing the merit of that Bill here as that has already been adopted Whatever may be the quantum of punishment or the nature of punishment, that is not very much germane to the discussion of the present Bill The question is no longer whether such activities have or have not been made penal Now, the simple question which arises by way of a natural corollary is this Those persons who would be punished have been proved to have committed the offence under Section 153(o) They should incur the disqualification for being chosen as a Member of the Legislature or Parliament I think the House should unanimously accept this amendment because nobody would say that a person who has been proved to be a ring leader and who has been punished because he has been responsible for wide-spread communal, racial or linguistic trouble in this country, should be allowed to occupy the benches of this august House I think if a dacoit or a theif or a blackmarketeer who has indulged in certain criminal activities, for his own individual gains, is disqualified, why should a man who is responsible for the destruction of public property worth crores of rupees and who is responsible for the blood-shed of thousands of innocent lives in the country be given the honour of being a Member of Legislature or Member of Parliament? I think that no group or no party in this House would have the guts to defend such persons here Therefore, my submission is this Shri Satyanarayan Rao also said something regarding this because his memory is still fresh with what is going in his own State. But his fears are unfounded. This has nothing to do with the punishment of persons indulging in peaceful activities for bifurcation of the State or for wanting to have one State But if they are committing violence in the name of religion, culture or language and in league with the reactionary forces in this country and want to block the progress of the country, then they should not be allowed to do that

Recently we witnessed some linguistic riots in Assam The whole of Assam State was rocked by shameful and terrible riots We also saw happening in Andhra Pradesh Apparently the leaders of public opinion occupying seats in the responsible Houses of Parliament and legislatures are the victims of mob fury They think that in case they raise their voice of reason against these shameless activities in this region, probably they would not be elected to these Houses and therefore they also succumb to the temptation of these very forces about which they have no words of praise The persons who have been convicted under section 153B are likely to become heroes and come with added majority in the legislatures if this Bill is not passed Therefore, it is necessary that after having been convicted under section 153B, they should further be disqualified for a certain period to contest the elections to the State legislatures and Parliament

With these words I support the Bill *in toto* and I would appeal to the Government that it should be accepted as a very timely measure in this country

श्री इ ाहीम सुलेमान सेंट (कोजीकोड) चैयरमैन साहब यहा पर एक निहायत ही अहम बिल आपके सामने मोहतरिमा सुभद्रा जोशी साहिबा ने पेश किया है। जैसा कि मुझसे पेशतर तकरीर करने वाले मेरे दोस्त ने कहा—इस बिल का मकसद निहायत ही

(श्री इब्राहीम सुलेमान सेट)

महदूद है, एक महदूद मकसद के लिये इस बिल को यहा पेश किया गया है। लेकिन जहा तक मै देखता हू, इसको बहस के दौरान उलझा दिया गया, खास कर मेरे मोहतरिम दोस्त रेड्डी साहब ने कुछ ऐसी गैरजरूरी बाते यहा पर कही हैं, जिसकी वजह से यह मकसद फौत हो गया है और ज्यादा उलझाव बहस मे पैदा हो गया है। यहा पर साफ तौर पर यह कहा गया है कि पाबन्दी उन लोगो पर लगनी चाहिए जो मिलिट्री ट्रेनिंग देते है, जो ड्रिल करते है और इस तरह से फिसाद का बाइस बनते है, मुल्क मे फिसाद बरपा करते है, खू-रेजी करते हैं, लोगो को कत्ल करते हैं। ऐसे अशखास जो वाकई मुल्क के दुश्मन है, उनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए यह बिल लाया गया है।

जहा तक इसका ताल्लुक है, हम इसको पूरा सपोर्ट देंगे क्योकि हम देखते हैं कि इस मुल्क मे ऐसे फिरकापरस्त आदमी मौजूद हैं जो अपने लोगो को, अपने नौजवानो को मिलिट्री ट्रेनिंग देते है, लाठी चलाना सिखाते है, चाकू चलाना सिखाते है, तलवार चलाना सिखाते है, न मालम किसके खिलाफ ऐसा करते है। जहा तक हमारी फौजो का ताल्लुक है, हमारी फौजे बहुत ताकतवर फौजे है, उन्होंने चाइना को शिकस्त दी है, उन्होंने पाकिस्तान को शिकस्त दी है, वे इतना बहादुर है कि हम उन पर एतमाद कर सकते है। लेकिन हम देखते है कि आर० एस० एस० के नाम पर मिलिट्री की ट्रेनिंग दी जाती है, लाठी चलाना सिखाया जाता है, तलवार चलाना सिखाया जाता है—यह गलत तरीका है, यह ऐसा तरीका है जो लोगो मे नफरत पैदा करता है, किसी खास फिरके के खिलाफ नफरत पैदा करता है, लोगो के दिलो को जोडने के बजाय उसको तोडने की कोशिश करता है। इसके लिए अगर इकदामात उठाये जाये तो गलत नही होगा। इस मुल्क के अन्दर हिन्दू-मुसलमान, सिख-ईसाई सब भाई-भाई की तरह से रहें, हमारे मुल्क की तरक्की के लिए कोशा हो तो हम पूरी तरह से उनके साथ हैं। लेकिन कभी-कभी गलत बाते कह दी जाती हैं—जैसा रेड्डी साहब ने कह दिया कि मुस्लिम लीग मे क्या किया ? मुस्लिम लीग फिरकापरस्त तनजीम नही है, उसके पास मिलिट्री आर्गेनिजेशन नही है, वह तलवार चलाना नही सिखाती, वह बन्दूक चलाना नही सिखाती, लाठी चलाना नही सिखाती, बल्कि मुस्लिम लीग जहा जरूरत पडती है, आपकी मदद करती है, वहा पर मस्तहकम हुकूमत कायम करने मे मदद करती है, और इसकी मिसाल मौजूद है। अगर इसको कोई फिरकापरस्त जमायत कहे तो हम मानने के लिये तैयार नही हैं। हिन्दुस्तान का दस्तूर जम्हूरियत का दस्तूर है। यहा पर मुख्तलिफ मजहबो को मानने वाले लोग हैं उन के खास मुख्तलिफ कल्चर वाले लोग हैं, उनके खास नजरियात है, उन की खास पालिसीज हैं, जिनको पेश किया जाता है और अपनी इकाई की, सैक्शन आफ पापुलेशन की इन्डिविजुएल्टी को कायम रखने के हक मे है। हम अपनी-कल्चर की प्रोटेक्शन चाहते है, अपनी वैल्यूज-इन-लाइफ को कायम रखना चाहते है।

हालाकि यहा पर मुख्तलिफ व्यवहार के मानने वाले लोग है मुख्तलिफ कल्चर को मानने वाले लोग है, मुख्तलिफ तहजीबो मे यकीन रखने वाले लोग है, मुख्तलिफ जबानो को बोलने वाले लोग है, लेकिन इन तमाम को अपनी जगह बराबर तरक्की का मौका मिलना चाहिये। इसके बाद जहा तक मुल्क की तरक्की का सवाल है हम साथ मिल कर कोशिश करे, इत्तहाद करे। लेकिन कभी कभी गलत बात कह कर चीज को उलझाने की कोशिश करना मुनासिब बात नही है।

जहा तक मैं समझता हू—मोहतरमा सुभद्रा जोशी जी ने मुस्लिम लीग का जिक्र नही किया, क्योकि वह जानती थी कि हमारी

तनजीम मे कोई मिलिट्री टेनिंग नही होती, तलवार चलाना नही सिखाया जाता, लाठी चलाना, बन्दूक चलाना नही सिखाया जाता । जिन मेम्बरान ने इस बिल की हिमायत की है, किसी ने भी हमारे खिलाफ कुछ नही कहा, लेकिन रेड्डी साहब ने मालूम नही क्यो उलझा दिया ।

जितनी तकरीरे हुई हैं, सब ने यही कहा कि इस बिल का मकसद महदूद है, इसके जरिये किसी पार्टी को बैंन करने का सवाल नही है, इस लिये खामखाह उलझा देना, टकराव पैदा करना अच्छी बात नही है । जहा अच्छी फिजा पैदा होती है, लोग इतमिनान के साथ जिन्दगी गुजारना चाहते हैं, वहा इस किस्म की बाते कहना कौमी इन्टरेस्ट मे नही है और ऐसी बातो की हमे मुखालफत करनी चाहिये ।

कोई बिल अगर किसी नेक-मक्सद के लिये आता है तो हमे जरूर उसको सपोर्ट करना चाहिये, लेकिन अगर उसका गलत इस्तेमाल किया जायेगा तो हम जरूर उस की उसकी मखालफत करेगें । यहा यह सवाल नही है कि मुस्लिम लीग कम्यूनल आर्गी-निजेशन है, बल्कि हम उसके किरदार मे उसको जज करना चाहिये । जब जरूरत पडती है तो उसको नेशनल कहना और जब जरूरत नही है तो उसका कम्युनल कहना—यह गलत बात है—

काबा किस मुह स जाओगे गालिब
शर्म तुम का मगर नही आती ।

इस किस्म की बाते कह कर क्या आपको शर्म नही आती । एक तरफ हम का कोम-परस्त कहते है, दोस्ती का हाथ बढाते है हमारा साथ लेकर हुकमत कायम करने हे और फिर यहा आकर कहते है कि हम कम्यूनल है—शर्म तुमको मगर नही आती ।

मै आपसे यही अर्ज करना चाहता हू कि इस बिल का जो मकसद है वह बहुत महदूद है, उस को समझना चाहिये, सोचने की कोशिश की जानी चाहिये, अगर ऐसी जमायतें, ऐसी तनजीन हैं जो वाकई मिलिट्री ट्रेनिंग देती है, फौजी ड्रिल सिखाती हैं, मुल्क में फिसाद कराना चाहती है नफरत फैलाना चाहती हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये । लेकिन जो अमनपसन्द तनजीम हैं, जो अपने नजरियात को पेश करती हैं, अपनी इन्डिविजएल्टी को कायम रखना चाहती हैं, अपनी कल्चर को प्रोटेक्शन चाहती हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही करने की कोशिश की जायगी नो हम उसकी मुखालफत करेगे ।

[شری ابراهیم سلیمان سیٹھ کو جی کوڈے)] نئے چیئر مین صاحب- یہاں پر ایک نہایت ہی اہم بل آپ کے سامنے محترمہ سبھدرا جوشی صاحبہ نے پیش کیا ہے- جیسا کہ مجھ سے پیشتر تقریر کرنے والے میرے دوست نے کہا ہے اس بل کا مقصد نہایت ہی محدود ہے- اور اس محدود مقصد کے لئے اس بل کو یہاں پیش کیا گیا ہے لیکن جہاں تک میں دیکھتا ہوں اس بل کے مقصد کو بحث کے دوران الجھادیا گیا ہے خاص کر میرے محترم دوست ریڈی صاحب نے کچھ ایسی غیر ضروری باتیں یہاں پر کہی ہیں- جس کی وجہ سے اس بل کا مقصدهی فوت ہو گیا ہے-اور زیادہ الجھاؤ بحث میں پیدا ہو گیا ہے- یہاں پر خاص طور پر یہ کہا گیا ہے کہ پابندی ان لوگوں پر لگنی چاهیئے جو ملٹری ٹریننگ

[شری ابراہیم سلیمان سیٹھ]

دیتے ہیں۔ جو قول کرتے ہیں اور اس طرح سے فساد کا باعث بنتے ہیں۔ ملک میں فساد برپا کرتے ہیں خوں ریزی کرتے ہیں لوگوں کا قتل کرتے ہیں۔ ایسے اشخاص جو واقعی ملک کے دشمن ہیں۔ ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لئے یہ بل لایا گیا ہے۔

جہاں تک اس مقصد کا تعلق ہے ہم اس کو پورا سپورٹ دینگے۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس ملک میں ایسے فرقہ پرست عناصر موجود ہیں۔ جو اپنی جماعت کو، یہ نوجوانوں کو "ملٹری ٹریننگ دیتے ہیں لاٹھی چلانا سکھاتے ہیں۔ چاقو چلانا سکھاتے ہیں تلوار چلانا سکھاتے ہیں۔ نہیں معلوم کس کے خلاف کیا جاتا ہے یہاں تک ہماری فوجوں کا تعلق ہے ہماری فوجیں بہت طاقتور ہیں۔ انہوں نے چائنا کو شکست دی ہے۔ انہوں نے پاکستان کو شکست دی ہے۔ وہ اتنے بہادر ہیں کہ ہم ان پر اعتماد کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آر۔ ایس۔ ایس۔ کے نام پر ملٹری کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ لاٹھی چلانا سکھایا جاتا ہے تلوار چلانا سکھایا جاتا ہے۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ یہ ایسا طریقہ ہے اس طرح لوگوں کے دلوں کو جوڑنے کی بجائے اس کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے لئے اگر اٹھائے جائیں تو غلط نہیں ہوگا۔ اس ملک کے اندر ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب بھائی بھائی کی طرح رہیں ہمارے ملک کی ترقی کے لئے کوشاں ہوں تو ہم پوری طرح ان کے ساتھ ہیں۔ لیکن کبھی غلط باتیں کہہ دی جاتی ہیں۔ جیسا ریڈی صاحب نے کہہ دیا کہ مسلم لیگ نے کیا کیا۔ مسلم لیگ فرقہ پرست تنظیم نہیں ہے۔ اس کے پاس ملٹری آرگنائزیشن نہیں ہے۔ وہ تلوار چلانا نہیں سکھاتی۔ وہ بندوق چلانا نہیں سکھاتی۔ بلکہ مسلم لیگ جہاں ضرورت پڑتی ہے۔ وہاں پر مستحکم حکومت قائم کرنے میں آپ کی مدد کرتی ہے۔ اور اس کی مثال موجود ہے۔ یہاں پر مختلف مذہبوں کو ماننے والے لوگ بستے ہیں۔ مختلف کلچر والے لوگ ہیں۔ ان کے خاص نظریات ہیں۔ ان کی خاص پالیسیز ہیں۔ جن کو پیش کیا جاتا ہے اور اپنی اکائی کی۔ سیکشن آف پاپولرٹی اینڈ یونیجولٹی کو قائم رکھنے کے حق میں ہیں۔ ہم اپنی کلچر کی پروٹیکشن چاہتے ہیں۔ اپنی ویلیوز ان لائف کو قائم رکھنا چاہتے ہیں۔

حالانکہ یہاں پر مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگ ہیں۔ مختلف کلچر کو ماننے والے لوگ ہیں۔ مختلف تہذیبوں میں یقین رکھنے

والے لوگ ہیں۔ مختلف زبانوں کو بولنے والے لوگ ہیں۔ لیکن ان تمام کو اپنی جگہ برابر ترقی کا موقعہ ملنا چاہئے۔ اس کے بعد یہاں پر ملک کی ترقی کا سوال آتا ہے ہم سب ملکر کوشش کریں۔ اتحاد پیدا کریں لیکن کبھی کبھی غلط بات کہکر چیز کو الجھانے کی کوشش کرنا مناسب بات نہیں ہے۔ کہ جماعت غلط ہے مسلم لیگ فرقہ پرست ہے اس پر پابندی لگنی چاہئے -

جہاں تک میں سمجھتا ہوں۔ محترمہ سبھدرا جوشی نے مسلم لیگ کا فکر نہیں کیا کیونکہ وہ جانتی نہیں کہ ہماری تنظیم میں کوئی ملٹری ٹریننگ نہیں ہوتی۔ تلوار چلانا نہیں سکھایا جاتا۔ لاٹھی چلانا و بندوق چلانا نہیں سکھایا جاتا۔ جن ممبران نے اس بل کی حمایت کی ہے کسی نے بھی ہمارے خلاف کچھ نہیں کہا۔ لیکن ریڈی صاحب نے معلوم نہیں بہت کو غلط غلط باتیں کہ کر الجھا دیا ہے

جتنی تقریریں ہوئی ہیں۔ سب نے یہی کہا ہے کہ اس بل کا مقصد محدود ہے۔ اس کے ذریعہ کسی پارٹی کو بین کرنے کا سوال نہیں ہے۔ جب حقیقت یہ ہے تو خواہ مخواہ ٹکراؤ پیدا کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ جہاں اچھی فضا پیدا ہوتی ہے لوگ اطمینان کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ وہاں اس قسم کی باتیں کہنا قومی انٹرسٹ میں نہیں ہے۔ اور ایسی باتوں کی ہمیں مخالفت کرنی چاہئیے۔

کوئی بل اگر کسی نیک مقصد کے لئے آتا ہے تو ہمیں ضرور اس کو سپورٹ کرنا چاہئے۔ لیکن اگر اس کا غلط استعمال کیا جائے گا تو ہم ضرور اس کی مخالفت کرینگے۔ یہاں یہ سوال نہیں ہے کہ مسلم لیگ کمیونل آرگنائزیشن ہے یا نیشنل بلکہ ہمیں اس کے کردار سے اس کی پالیسی سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہئیے۔ جب ضرورت پڑتی ہے تو ہم کو نیشنل کہنا اور جب ضرورت نہیں ہے اس کو کمیونل کہنا غلط بات ہے۔

کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب
شرم تم کو مگر نہیں آتی

ایک طرف ہم کو قوم پرست کہتے ہیں - دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ ہمارا سہارا لیکر حکومت قائم کرتے ہیں اور پھر یہاں کر کہتے ہیں کہ ہم کمیونل ہیں۔ شرم تم کو مگر نہیں آتی۔

میں آپ سے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس بل کا جو مقصد ہے وہ بہت محدود ہے۔ اس کو سمجھنا چاہئیے۔ سوچنے کی کوشش کرنی چاہئیے۔ اگر ایسی جماعتیں۔ ایسی تنظیمیں ہیں جو واقعی ملٹری

[شری ابراہم سلیمان سیٹھ]

تریننگ دیتی ہیں- فوجی قول سکھاتی ہیں- ملک میں فساد کرانا چاہتی ہیں- نفرت کرانا چاہتی ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہئیے- لیکن جو امن پسند تنظیم ہے جو اپنے نظریات کو پیش کرتی ہیں اپنے فرقے کے وجود کو قائم رکھنا چاہتی ہے - اپنے کلچر کی پروٹیکشن چاہتی ہیں- اگر ان کے خلاف کارروائی کرنے کی کوشش کی جائیگی تو ہم اس کی مخالفت کرینگے-

श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान (किशगंज) . मोहतरिम सदर, मोहतरिमा सुभद्रा जोशी जी को जितनी भी मुबारकबाद मेरी छोटी सी राय में दी जाय, वह बहुत कम होगी । हिन्दुस्तान में, कम से कम इस सदन में वह पहली मोअज्जिज खातून हैं जिन्होंने हिन्दुस्तान की एकता बरकरार रखने के लिए बहुत से काम किये है और यह उन की देन है कि दफा 153 आई० पी० सी० मे तबदीली लाई गई । हम सब का इसके लिए उन का मशकूर होना चाहिए ।

में अर्ज करना चाहता हूं कि इस बिल का मकसद सही मायना मे बहुत महदूद है । यह बात हमारे और साहबों ने भी कही है, लेकिन साथ ही साथ इस बात का जिक्र था कि हिन्दुस्तान मे अमन कायम हो हिन्दुस्तान में सारे लोग चैन की जिन्दगी गुजारें, चाहे मुसलमान हो, हरिजन हो, क्रिश्चियन हो, हिन्दू हो सारे लोग रात को आराम की नीद सो सकें, इसी बात को मद्देनजर रखते हुए इस दफा 153 को एमेण्डमेन्ट की गई है ।

हम लोगो पर अक्सर यह इलजाम लगाया जाता है कि हम लोग यहा भारी बहुमत से आ गये है —वाककई यह बात सही है कि हम इतनी भारी तादाद में आये हैं । लेकिन इतने छोटे से अर्से में जितने काम हम लोगों ने अपनी जनता के लिए किये हैं उन में यह भी एक बहुत बडा काम है कि हिन्दुस्तान में अमन को बरकरार रखा जा सके, ताकि पूरा हिन्दुस्तान तरक्की कर सके । अगर इस में कोई बाधा डालते हैं, दखलन्दाजी करते है तो मैं सरकार से कहूंगा —चूंकि मेरी अपनी सरकार है —सरकार को पूरी तनदेही से काम लेना चाहिये, चाहे वह कोई फरीक हो, पार्टी हो या कोई भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो ।

मैं अर्ज कर रहा था कि ताकत की लडाई कोई नई लडाई नही है, कुर्सी हासिल करने के लिए कोई नई लडाई नही है ।

आप देखेंगे कि उस जमाने में यानि हिन्दू पीरियड मे भी लडाइया हुई है, भाई ने भाई का गला घोटा है । मुसलमान पीरियड की भी यही हालत रही है । जयचन्द का एक मशहूर वाकया है । औरंगजेब के वक्त में यह बातें हुई है । जंगे आजादी के मौके पर 1857 में ऐसे वाकयात हुए और ऐसे ही लोग जिनको कानूनी हद मे लाना चाहते है, उस वक्त भी थे । उनकी रूहें अभी भी भारत में रह गई हैं । मिसाल के तौर पर फौज मे मुस्लिम सेक्शन से कहा गया है कि सुवर की चर्बी है कारतूस दांत से मत खोलना और हिन्दू से कहा गया कि इसमे गाय की चर्बी है, दांत से मत खोलो । लिहाजा जंगे आजादी को उन बातो से धक्का लगा । आजतक हम किसी कुरबानियां दे चुके है यह छिपी बात नही है । हद तो यह हो गई कि इसी दिल्ली मे महात्मा गांधी को गोलीका निशाना बनाया गया । वह ऐसे ही लोग थे । उन्ही लोगो के लिए ऐसी पाबन्दी आयद करने की बात कही गई गई है । अगर ऐसे लोग एलेक्ट होकर आयेगे , चाहे पार्लमेंट में, स्टेट असेम्बलीज में या स्टेट काऊसिल में तो आप अन्दाजा लगा सकते है कि उस वक्त इस मुल्क के लोगो का क्या हशर होगा ? इस मुल्क की

तरक्की का क्या हशर होगा और इस मुल्क के लोग कैसे जिन्दा रहेंगे ? इसलिए बहुत ही मुनासिब वक्त में श्रीमती सुभद्रा जोशीजी ने यह अमेंडमेंट यहां पर रखा है और इसको मानने में सरकार को एक मिनट की भी देर नहीं करनी चाहिये बल्कि फौरन मान लेना चाहिये और उसके बाद फौरन उसपर अमल करना चाहिए ।

श्रीमती सुभद्रा जोशीजी कह रही थी कि वे गोंडा तशरीफ ले गई थी, वहां पर धर्म के नाम पर कितने लोग मारे गए, असम मे जबान के नाम पर कितने लोग मारे गये और रांची में कितने मुसलमान मारे गए । इन बातो मे इस मुल्क की तरक्की किस तरह से रुकती है, इसका अन्दाजा आप इस बात से लगाये कि एक मिनट में 50 टन लोहा इस मुल्क में निकलता है, यह स्टैटिस्टिक्स बतलाती है । फिर कितने दिन एच ई सी का कारखाना बन्द रहा और कितने मजदूरों की रोजी छीनी गई है । इसलिए एक सेक्यूलर स्टेट में ऐसे लोगो की जरूरत नही है जिनका नजरिया यह हो कि जबान के नाम पर लोगो को मारे, मजहब के नाम पर मुसलमानो को मारे, रीजन के नाम पर लोगो को मारे, किसी और चीज का बहाना बनाकर मारे— ऐसे लोगो की भारत मे जरूरत नही है । बल्कि भारत मे ऐसे लोगो की जरूरत है कि अगर आज तक कदम आगे चले तो कल दस कदम और परसों सौ कदम आगे चलें ताकि बाहर के मुल्क जो हमारी तरफ देखते हैं जो इस मुल्क मे गड़बड़ी पैदा करना चाहते हैं वह कामियाब न हो सकें ।

पिछली बार पार्लमेंट मे कहा गया था कि सी आई ए की बड़ी चर्चा है और शशि भूषणजी ने भी उसका जिक्र किया है । आखिर इतनी गड़बड़ियां किसकी शह पर हो रही है जब तक कि किसी बाहरी मुल्क का उसमें हाथ न हो जिनको कि यह तरक्की पसन्द न आती हो । जिस तरह से 1857 में किसी को गाय के नाम पर, किसी को सुवर के नाम पर अलाहिदा कर दिया गया था उसी तरह की चीज आज भी जारी है ताकि उनके जबरदस्त पंजे की छाप हमारी एकोनामिक और सोशल जिन्दगी पर पड़ती रहे और उनके हम गुलाम रहें । इसलिए अब वक्त ऐसा आ गया है कि सुभद्राजी का जो अमेन्डमेन्ट है उसको फौरन मान लेना चाहिए और जो कानून 153 (बी) पहले पास हुआ है उसको लागू करने मे देर न की जाये । कोई भी हो इस तरह का जहर फैलाता है चाहे जबान के नाम पर, चाहे रीजन के नाम पर और चाहे हिन्दू मुसलमान के नाम पर उसको कानून की जद मे लेना चाहिए ताकि सेक्युलर हिन्दुस्तान का जो नकशा है उसमे हमारे कांस्टीट्यूशन के मातहत हर आदमी को खाने कमाने और काम करने की आजादी बरकरार रह सके और इस मुल्क में कही भी दंगे फसाद होने के बजाय हमेशा अमन और चैन रहे । इसलिए मैं वजीर साहब से गुजारिश करता हूं कि यह दोनो बाते होनी चाहिए । 153 बी दफा आई०पी०सी० को फौरन लागू करना चाहिए और सेक्शन के फ्रेम मे चाहे रीजन के नाम पर रेलिजस नाम पर, रेशियल नाम पर, लेंग्वेज के नाम पर, कास्ट के नाम पर या कम्युनिटी के नाम पर जितने लोग आते है उन पर बिल्कुल कानूनी पाबन्दी आयद कर देनी चाहिए और साथ साथ पीपुल्स रिप्रेजेन्टेशन ऐक्ट में अमेन्डमेन्ट की जो गुजारिश की गई है उसको भी फौरन मान लेना चाहिए, चूंकि पार्लमेंट का सार्टटेंडल आफ डिमोक्रेसी कहा जाता है वह ऐसी जगह है जहां से सारे देश मे रोशनी पड़ती है । इसलिए और भी जरूरी है कि इस अमेन्डमेन्ट का फौरन मंजूर किया जाना चाहिए ताकि रोशनी पूरे देश में जाकर फैल सके ।

[شری محمد جمیل الرحمان (کشن گنج): محترم صدر، محترمہ سبھدرا جوشی جی کو جتنی بھی مبارکباد میری چھوٹی سی رائے میں دی جائے وہ بہت کم ہوگی- ہندوستان میں اس سدن میں وہ پہلی معزز خواتین

[شری محمد جمیل الرحمان]

ہیں جنہوں نے ہندوستان کی ایکتا برقرار رکھنے کے لئے بہت سے کام کئے ہیں- یہ ان کی دین ہے کہ دفعہ ۱۵۳ میں آئی-پی-سی- میں جو تبدیلی لائی گئی ہم سب کو اس کے لئے ان کا مشکور ہونا چاہئیے-

میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس بل کا مقصد صحیح معنوں میں بہت محدود ہے- یہ بات ہمارے اور دوستوں نے بھی کہی ہے- لیکن ساتھ ہی ساتھ اس بات کی ذمہ داری کہ ہندوستان میں امن قائم ہو ہندوستان میں سارے لوگ چین کی زندگی گزاریں چاہے مسلمان ہوں- ہریجن ہوں- بیکورڈ ہوں- ٹرائبل ہوں- سارے لوگ رات کو آرام کی نیند سوئیں- اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس دفعہ ۱۵۳-بی کی امینڈمنٹ کی گئی تھی-

ہم لوگوں پر اکثر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم لوگ یہاں بھاری اکثریت سے آگئے ہیں- واقعی یہ بات صحیح ہے- کہ ہم اتنی بھاری تعداد میں آئے ہیں- لیکن اتنے چھوٹے سے عرصے میں جتنے کام ہم لوگوں نے اپنی جنتا کے لئے کئے ہیں ان میں یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے کہ ہندوستان میں امن کو برقرار رکھا جاسکے- تاکہ پورا ہندوستان ترقی کرسکے- اگر ہم اس میں کوئی بادھا ڈالتے ہیں - دخل اندازی کرتے ہیں تو میں سرکار سے کہونگا جو کہ میری اپنی سرکار ہے - سرکار کو پوری تندہی سے کام لینا چاہئیے چاہے کوئی فریق ہو- پارٹی ہو- یا کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو-

میں عرض کررہا تھا کہ طاقت کی لڑائی کوئی نئی لڑائی نہیں ہے- آپ دیکھیں گے کہ اس زمانے میں یعنی ہندو پیریڈ میں بھی لڑائیاں ہوتی ہیں- بھائی نے بھائی کا گلا گھونٹا ہے- مسلم پیریڈ کی بھی یہی حالت رہی ہے جو چلا کا ایک مشہور واقعہ ہے- اورنگزیب کے وقت میں یہ باتیں ہوتی ہیں- جنگ آزادی کے موقعے پر ۱۹۵۷ع میں ایسے واقعات ہوئے ہیں- اور ایسے بھی لوگ جن کو قانونی حد میں لانا چاہتے ہیں- اس وقت بھی موجود تھے- ان کی روحیں ابھی بھی بھارت میں رہ گئیں ہیں - مثال کے طور پر فوج میں مسلم سیکشن سے کہا گیا کہ سود کا گوشت ہے دانت سے مت کھینچو- اور ہندو سیکشن سے کہا گیا کہ اس میں گائے کی چربی ہے دانت سے مت کھینچو- لہذا جنگ آزادی کو ان باتوں سے دھکا لگا - آج تک ہم جتنی قربانیاں دے چکے ہیں یہ اچھی بات نہیں ہے- حد تو یہ ہوگئی ہے کہ اس دلی میں مہاتما گاندھی کو گولی کا نشانہ بنایا گیا- وہ ایسے ہی لوگ تھے- انہی لوگوں

کے لئے ایسی پابندی عائد کرنے کی بات کہی گئی ہے اگر ایسے لوگ ملتخب ہوکر آئینگے- چاہے پارلیمنٹ میں- سٹیٹ اسمبلی میں- یا اسٹیٹ کونسلز میں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت اس ملک کا کیا حشر ہوگا ؟ اس ملک کی ترقی کا کیا حشر ہوگا ؟ اور اس ملک کے لوگ کیسے زندہ رہیں گے اس لئے بہت ہی ملنا سب وقت میں شریمتی سبھدرا جوشی جی نے یہ امینڈمینٹ یہاں پر رکھا ہے- اور اس کو ماننے میں سرکار کو ایک ملٹ کی بھی دیر نہیں کرنی چاہئیے- بلکہ فوراً مان لینا چاہئیے اور اس کے بعد فوراً اس پر عمل کرنا چاہئے-

شریمتی سبھدرا جوشی جی کہہ رہی تھیں کہ وہ گونڈا تشریف لے گئیں تھیں- وہاں پر دھرم کے نام پر کتنے لوگ مارے گئے- آسام میں زبان کے نام پر کتنے لوگ مارے گئے- رانچی میں کتنے مسلمان مارے گئے- ان باتوں سے اس ملک کی ترقی کس طرح سے رکتی ہے- اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ ایک مدت میں ۵۰ ٹن لوہا اس ملک میں نکلتا ہے- سٹیٹسٹکس بتلاتی ہے پھر کتنے دن ایچ- ای- سی- کا کارخانہ بند رہا اور کتنے مزدوروں کی روزی چھن گئی- اس لئے ایک سیکولر سٹیٹ میں ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے جن کا نظریہ یہ ہو کہ زبان کے نام پر لوگوں کو ماریں- مذہب کے نام پر مسلمانوں کو ماریں- علاقہ کے نام پر لوگوں کو ماریں- ایسے لوگوں کی بھارت میں ضرورت نہیں ہے- بلکہ ایسے لوگوں کی بھارت میں ضرورت ہے کہ اگر آج ایک قدم آگے چلیں تو کل دس قدم اور پرسوں ۱۰۰ قدم آگے چلیں- تاکہ باہر کے ملک جو ہماری طرف دیکھتے ہیں- جو اس ملک میں گڑبڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ کامیاب نہ ہو سکیں-

پچھلی بار پارلیمنٹ میں کہا گیا تھا کہ سی- آئی- اے- کی بڑی چرچا ہے اور شثی بھوشن جی نے بھی اس کا ذکر کیا ہے- آخر اتنی گڑبڑی کس کی شہ پر ہورہی ہے- جب تک کہ کسی باہری ملک کا ہاتھ نہ ہو جس کو کہ اس ملک کی ترقی پسند نہ آتی ہو- جس طرح سے ۱۸۵۷ میں کسی کو گائے کے نام پر کسی کو سوور کے نام پر علیحدہ کردیا گیا تھا- اس طرح کی چیز آج بھی جاری ہے- تاکہ ان کے زبردست پنجے کی چھاپ ہماری ایکنومک اور سوشل زندگی پر پڑتی ہے اور اس کے ہم غلام رہیں- اس لئے وقت ایسا آ گیا ہے کہ سبھدرا جی کا جو امینڈمنٹ ہے اس کو فوراً مان لینا چاہئیے- اور جو قانون ۱۵۳ بی پہلے پاس ہوا ہے- اس کو لاگو کرنے میں دیر نہ کی جائے- کوئی بھی ہو اس ملک میں جو اس طرح کا زہر

[شری محمد جمیل الرحمان]

پھیلاتا ہے- چاہے زبان کے نام پر چاہے علاقہ کے نام پر - چاہے ہندو مسلمان کے نام پر اس کو قانون کی زد میں لینا چاہئیے تاکہ سیکولر ہندوستان کا جو نقشہ ہے اس میں ہمارے کانسٹیٹیوشن کے ماتحت ہر آدمی کو کھانے کمانے اور کام کرنے کی آزادی برقرار رہ سکے اور اس ملک میں کہیں بھی دنگے فساد ہونے کی بجائے ہمیشہ امن اور چین رہے- اس لئے میں وزیر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ دونوں باتیں ہونی چاہئیں ۱۵۳ اے دفعہ آئی- پی- سی- کو فوراً لاگو کرنا چاہئیے- اور شکشن کے فریم میں چاہے علاقہ کے نام پر مذہب کے نام پر نسل کے نام پر زبان کے نام پر ذات کے نام پر یا فرقہ کے نام پر جتنے لوگ آئے ہیں ان پر بالکل قانونی پابندی عاید کر دینی چاہئیے- اور ساتھ ساتھ ریپریزنٹیشن آف پیوپلز ایکٹ میں امینڈمنٹ بل کی جو گزارش کی گئی ہے اس کو بھی فوراً مان لینا چاہئیے- چونکہ پارلیمنٹ کو سینٹرل آف پاور/ پی-ی کہا جاتا ہے وہ ایسی جگہ ہے جہاں سے سارے دیش میں روشنی پہنچتی ہے- اس لئے یہ بہت ضروری ہے کہ اس امینڈمنٹ کو فوراً منظور کیا جانا چاہئیے- تاکہ روشنی پورے دیش میں جا کر پھیل سکے-]

श्री महा दीपक सिंह शाक्य (कासगंज) सभापति महोदय, श्रीमति सुभद्रा जोशी जी ने जो विधेयक यहां पर प्रस्तुत किया है वह बिलकुल ही निरर्थक और निराधार है। किसी भी हाउस मे जब इस प्रकार का कोई अमेन्डमेन्ट बिल आता है जिस मे राष्ट्र का हित हो तो वह कोई बुरी बात नही है लेकिन जब कोई ऐसा बिल सदन मे पेश किया जाए जिसके पीछे कोई दल-गत भावनाए हो, जो प्रत्यक्ष रूप से दलगत भावनाओ से ओतप्रोत हो, जैसा कि अभी मैं ने प्रस्तावक महोदया के भाषण मे स्पष्ट पाया है तो वह बिल पार्टीगत दृष्टि से या निजी दृष्टि से हितकर हो सकता हैं परन्तु सार्वजनिक हित को दृष्टि मे रखते हुए लोकतन्त्र के लिए हितकर नहो हो सकता है। मुझ से पूर्व बहुत से माननीय सदस्यो के अपने विचार यहा प्रस्तुत किए। भिन्न भिन्न प्रकार की दलगत भावनाओ से ओतप्रोत इन डाइरेक्टवे मे यहा पर छीटा कसी की गई। अभी आदरणीय शशी भूषण जी ने बहुत से विरोधी दलो के चाकोदारो के नाम गिनाए, मुझे खुशी है लेकिन दुख इस बात का है कि जिन्हाने फर्गुसनय ह्यूम अंग्रेज के पीछे चलने वाले शिकारी कुत्तो का जिक्र नही किया जो कानून की आड मे लोकतन्त्र का शिकार कर रहे है . . (व्यवधान) बस कुत्ते है ऐसा मान लिजिए, पकडने का सवाल नही है मैं एक बात आपसे निवेदन करना चाहता हू कि यह बिल जिसमे इस बात का जिक्र किया गया है कि यदि भाषा बिवाद को लेकर, साम्प्र-दायिकता जातिवाद, धर्मवाद को लेकर कोई ऐसा मतभेद जनता मे उत्पन्न करता है जिससे हमारे राष्ट्र का अहित होता है तो यह बात अपनी जगह पर सही है कि उस बात का मानने से हम इन्कार करदे और ऐसा होना भी चाहिए लेकिन कार्य बिना कारण कभी नही होता। क्या कभी आपने सोचा कि इसका कारण क्या है? इसका जिम्मेदार कौन है और उसको दूर करने के लिए कोनसा आपके पास मापक यंत्र है जिसमे आप जान जाए और उसमे सुधार लाएे। अच्छा होता आप कोई बिल ऐसा पेश करते जिससे भारत मे एक जाति होती, भारत का एक धर्म होता और भारत की अपनी एक भाषा होती। हम नही समझते

कि ऐसा बिल यहां पर लाने की कोई आवश्यकता थी। लेकिन वह नहीं हुआ।

जहा तक इस बात का सम्बन्ध है कि क्राइम कौन करता है, साम्प्रदायिकता कौन फैलाता है, यह कोई नयी बात नही है। हाउस मे हमेशा इस पर विचार होता रहा है, इस पर वक्तव्य आते रहे है और हमेशा हमने इस बात की माग की कि सब से पहले आपको यह निश्चय करना होगा साम्प्रदायिकता नाम का विषय क्या है।

किसी पार्टी विशेष का साम्प्रदायि कह देना, किसी सगठन को सम्प्रदायी कह देना यह नीति की बात नही है। आप को समझना होगा कि जिस साम्प्रदायिकता के पीछे आप जा रहे है वह क्या चीज है। यदि नही समझेंगे तो आप उसका इलाज नही कर सकते। कोई तरीका नही निकाल सकते जससे आप मुक्ति पा सके।

माननीया सुभद्रा जोशी ने गोडा का उदाहरण पेश किया था कि जब वह गोडा मे गयी तो आर० एस० एस० के लोगो ने झगडा करा दिया झगडा कभी साम्प्रदायिक नही होता, कोई सगठन नही कराता। झगडा हमेशा व्यक्तिगत हुआ करता है और वह झगडा करने वाला किसी भी पार्टी या धर्म का हो सकता है। और कही का भी निवासी हो सकता है। इसलिए आपने गोण्डा मे जाकर आर० एस० एस० के व्यक्तियो का तो सवक्षण किया, लेकिन यू०पी० मे सहावर जिला एटा म भी आपने देखा है? कि वहा क्या हुआ है वहा पर हरिजनो पर रूलिंग पार्टी के प्रति निधि के परिवार की तरफ से इतने अत्याचार किए गए कि उन्होने एक महीने तक डी० एम० के यहा भूख हडताल की। वह कान थे? यदि उमका भी वह जिक्र करती तो मुझे खुशी होती।

मेरे कहने का मतलब यह है कि क्राइम करने वाला व्यक्ति किसी भी सम्प्रदाय संगठन या पार्टी या किसी जाति और धर्म से सम्बन्धित हो सकता है,। लेकिन यह नही हो सकता कि वह रूलिंग पार्टी या एक व्यक्ति था इसलिए सारी रूलिंग पार्टी हो ऐसी ही है। यह नही कहा जा सकता कि आर० एम० एस०. के किसी गदे आदमी ने कोई गलत काम किया है तो आर० एस० एस० या जनसघ उसके लिए जिम्मेदार है। यह कदापि नही हो सकता। आर० एस० एस० या जनसघ पर हमेशा ब्लेम लगाया जाता है कि वह हिन्दू मुसलमान मे भेदभाव पैदा करते है। मै अर्ज करना चाहूगा कि जब पश्चिमी पाकिस्तान का हम विरोध करते है तो कहा जाता है कि हम मुसलमानो का विरोध करते ह, लेकिन जब बगला देश की मान्यता के लिए सत्याग्रह करते है तो आप हमको क्या सज्ञा देंगे? मुआफिकत की देंगे या नफरत की देंगे इस लिए किमी व्यक्ति विशेष के कार्य को लेकर किसी को बदनाम किया जाए यह उचित बात नही है।

कहा गया ह कि राजनीतिक सत्ता को हथियाने के लिए कुछ दल ऐसे क्राइम किया करते है। यहा सभी सदस्य चुन कर आते हैं ये उनमे पूछना चाहता हू कि क्या आज वोट डडे के आधार पर लिए जा सकते है? हरगिज नही। आज वोट मिलना है सहृदयता से। इस लिए इस प्रकार का मनोवृत्ति इस बिल के पीछे लाई गयी है वह सर्वथा निराधार है।

एक बात और कहना चाहता हू कि देश की भाषा धर्म, जाति इन मे कोई भी देश का नागरिक नही बन सकते। वह किसी ना किसी जाति, भाषा, और धर्म का मानने वाला होगा। यह तो हमारा संविधान कहता है कि इनको स्वतन्त्रता होनी चाहिए। मेरे विचार से इस बिल का लक्ष्य यह है कि इस स्वतत्रता पर भी रोक लगायी जाए। लेकिन इस प्रकार के प्रावधान दड संहिता मे बहुत से है जिन के द्वारा पहले ही प्रतिबन्ध लगा हुआ है कि किसी व्यक्ति का यदि नैतिक पतन हो जाता है। तो वह चुनाव लडने के लिए हमेशा के

लिए अयोग्य माना जाता है। तो जब इस प्रकार की तमाम धाराएं हों, अधिनियम हों फिर ऐसे बिलों को लाने की क्या आवश्यकता है? इस लिए जो बिल माननीय सदस्या ने पेश किया है यह सार्वजनिक दृष्टि से ससहायक नही है यह बिल उनकी निजी भावनाओं को प्रदर्शित करता है कि इस बिल के पीछे उन की क्या भावनाएं है। इसलिए यह बिल दूसरे दलों पर कुठाराघात करने की दृष्टि से ही यहां सदन में लाया गया है, और इसका कोई मतलब नहीं है,। अत: यह बिल निरर्थक और निराधार है इस लिए बिल का घोर विरोध करता हूं।

SHRI C. H. MOHAMED KOYA (Manjeri): Mr. Chairman, I do not find anything seriously objectionable in the Bill moved by Shrimati Subhadra Joshi. In the statement of objects and reasons to the Bill and in her speech, the Mover made very clear the purpose behind it, but some of the speakers who supported the Bill have in their anxiety transgressed the limit and made unnecessary attacks on certain parties including the Muslim League.

Shri Reddy who comes from Andhra was attacking the Muslim League, forgetting the fact that he comes from a State where fissiparous tendencies are at their height, though at least the Muslim League is innocent in that respect. His own partymen are leaving the party and quarrelling among themselves as integrationists and separatists. The separatists are working in Hyderabad and some of them are integrationists in Delhi, though all of them claim to be secular in their approach and Shri Reddy throws the blame on the Muslim League.

In this country even some secular parties while contesting elections have quarrelled among themselves, as between Reddys and Khammas, between Lingayats and Okkaligas, between Jats and Rajputs. But they have got a secular cloak to hide all these things. They accuse the other parties not knowing that the boot is on the other leg.

The aims and objects of the Mover are limited as the Mover has stated in the Bill, but some speakers went to the extent of even suggesting banning of parties whose membership is confined only to certain communities, national parties of minority communities.

You must judge a party not by its name but by its actions. I want to avoid controversy but when people accuse the Muslim League, I would like to state that we, the Muslim League party, have supported all the progressive measures of Shrimati Indira Gandhi's Government. This was so even when the Indira Gandhi Government had not the overwhelming majority it has today. Even though we had no alliance with that Congress, we still supported them in the election of President Giri. We supported Banks nationalisation. We supported the Privy Purses Abolition Bill. But now we are accused of being communal when this charge is applicable to some of the secular parties.

SHRI SHASHI BHUSHAN: So you support *foodgrains take over?*

SHRI C. H. MOHAMED KOYA: Yes. In principle. We have only said that you should have the necessary arrangements to enforce it. Otherwise, as in the coal nationalisation measure after which coal prices went up, the same fate will overtake this measure in regard to the prices of foodgrains and this will defeat the very purpose of the measure. We are *prepared to accept this.* We only say that the officers cannot do this. There must be proper arrangements for implementing it. That is the only difference.

MR. CHAIRMAN: Kindly speak to the Bill.

SHRI C. H. MOHAMED KOYA: Shri Reddy has given us an advice to change our name. What is the harm

in a name? There is the Jan Sangh. Its name is good. We are a national party. It is not the name that matters, it is the party's activity that counts. Shakespeare has said After all, what is there in a name? A rose by any other name will smell as sweet. Therefore, we need not take the trouble of changing the name. What is important is the activity What is there in a name? For instance, in a country like Italy, the Christian Democratic Party is ruling, and there is no earthquake because of that What about Malaysia? Three communal parties have been there the United Malaysian National Organisation, i e, the UMHO, then the MCA—the Malaysian Chinese Association and the MIC —the Malaysian Indian Congress An alliance of these three parties was led by Tunku Abdur Rahman formerly and now by Tun Adbul Razak And we must all remember with gratitude that Malaysia was among the first to come forward and support us in the Indo-Pakistan war Therefore, this change of name has nothing to do with the actual practice The activity is important If you name an ugly girl as *Sundari Bai*, it does not make a difference So, the name is not the main thing It is the activity of the Muslim League that is important

17 hrs

I think that the nature of a party cannot be described by any name that it may have or by the cloak that it wears It must be judged by the activities I support Shrimati Subhadra Joshi's Bill in its objective, but my only fear is that it may be misused Earlier in the day, there was another Bill under discussion during the course of which it was mentioned that some people were sent to the gallows by mistake. I do not know whether people will be sent to the "gallows" on the ground of communalism by mistake and they will not be allowed to come here. It is not enough that you call a party as a secular party and then quarrel over separation or non-separation. Therefore, if the provisions in the Indian Penal Code are not enough, or if the Constitutional provisions are not enough, I do not grudge Shrimati Subhadra Joshi's efforts to amend the Representation of the People Act through this Bill.

But I do not want to go on record without challenging Shri Reddy when he attacked the Muslim League and threw the blame on them, and made such an argument, especially coming from Andhra Pradesh which is now the hotbed of fissiparous tendencies shown by the so-called secular parties.

श्री मूल चन्द डागा (पाली) मै नही समझता हू कि किसी को भी इस बिल का विरोध करना चाहिए। रिप्रिजेंटेशन आफ पीपल एक्ट मे 153 (ए) पहले से है और (ब) और जोडने की यहा इस बिल मे बात कही गई है। मंत्री जी खडे हो कर मै जानता हू कि आप कहेंगे कि इसको रख देना चाहिए। लेकिन मै कहता हू कि न इनका और न उनको शर्म होना चाहिए। सब का अपने दिलो को टटोलना चाहिए। संकीर्णता पाप है साम्प्रदायिकता महापाप है। साम्प्रदायिकता का हम नाम लेना नही चाहते है। जो धर्म का होता है वह धर्मों का नही होता और जो धर्मों का होता है वह धर्म का नही होता है। न हमारे लिए कोई हिन्दू है और न मुसलमान, हमारे लिए सब भारतीय है। संविधान के प्रति जो वफादार नही हैं उनको हम बरदाश्त नही कर सकते है। जो चीन की वकालत करता है तो उनका क्या किया जाए यह भी सोचने वाली बात है। पुरी के शंकराचार्य जिस तरह के विघटनकारी कार्य कर रहे है, उनको आप इस तरह के कानून के दायरे मे लाइये। वह क्या कहते है, देखिये

"The Scheduled Castes held a noisy demonstration against the Shankaracharya of Puri during a public debate at which the Hindu Religious Chief defended his views that inequality was the essence of Nature."

जब हम इंसान इंसान मे भेद खत्म करना चाहते हैं, इसकी दीवालों को तोड़ना

[श्री मूलचन्द डागा]

चाहते हैं, नए समाज में इंसान इंसान में न आर्थिक भेद रखना चाहते है और न ही धर्म की दीवार रखना चाहते है और साम्प्रदायिकता की दीवार को भी तोडना चाहते हैं और जो इसके विरोध मे जा कर बात करता है, उनके खिलाफ आप एक्शन ले। सवाल एक ही है। जो हिन्दुस्तान का रहने वाला है जो हिन्दुस्तान के सविधान के प्रति वफादार है और उसके अनुसार चलता है, उनको काम करने की पूरी छट रहनी चाहिये। सिखों के अखाडे लगते है। उनमे वे तलवारे चलाते है, छुरिया चलाते है, उससे कुछ फर्क नही पडता है। छुरियो के घाव नही होते, घाव अन्दर के होते है। छुरी या लाठी कोई घाव नही करती है, इसके घाव इतन गहरे नही होते है लेकिन जो इसान इसान को अलग करते है वे ऐसे घाव है जो कभी भर नही सकते है। हमारा देश कवियो का देश रहा है, रहीम रसखान, जायसी का देश रहा है, यहा की सस्कृति हमे आपस मे घृणा करना नही सिखाती, इस देश मे विभिन्नता मे एकता है फूलो का चन चुन कर माला गथी गई है अब हमारा फर्ज है कि उस माला के फूलो को हम बिखरने न दे और उसकी खूबसूरती को नष्ट न होने दे। हम सब अपने मग टटोले। जाति, धर्म आदि के नाम पर प्रचार करने वाले 17वी और 18वीं सदी के लोग है। उनको इस जमाने मे रहने का अधिकार भी नही होना चाहिये। यह नया जमाना है, नई रोशनी है। 18वी सदी के तिलकधारी चल नही सकते है। हम समझते हे कि आदमी का मन साफ होना चाहिये। सारे जहा से अच्छा हिन्दुस्ता हमारा, इसको हम न भूले। किसी पर हम छीटाकशी न करे। हम पहले तोले और फिर बोले प्रेम से बोले। फिजूल की नुक्ताचीनी हम न करें। इससे कुछ नही मिलता है। जब कोई इंसान इंसान में भेद करता है तो इसको देख कर दुख होता है, फिर चाहे पुरी के शंकराचार्य हो या कोई और विद्वान हो या अर्थ शास्त्री हो या धर्म का ज्ञाता हो। हमने बहुत सोच समझ कर सविधान को बनाया था। हमारा देश एक है और हमको इसको ऊपर उठाना है। इस प्रकार के जो भेद करते हैं, उनको सजा दी जाए। सविधान की बातों को जानते हुए जो इस प्रकार की बातें करते है, बिना मतलब के भेद पैदा करते है, जाति भेद पैदा करते हैं, उनको बरदाश्त नही किया जा सकता है।

मै एक ही बात मत्री जी से पूछना चाहता हू वह बताए कि क्या कभी 153ए का इटरप्रेटेशन हाई कोर्ट की जजमेट मे हुआ है और क्या किसी का कनविक्शन हुआ है। हमने एक भी केस अभी तक इस तरह का नही देखा है। जल्दी जल्दी कदम उठाने के बजाय हम सोचे कि जो एक्ट बना हुआ है उसके किसी सैक्शन के अन्दर किसी को सजा हुई है? मै यह भी जानना चाहता हू कि जब से रिप्रिजेंटेशन आफ पीपल्ज एक्ट बना है तब से समाज मे नफरत फैलाने वालो की तादाद बढी है या कम हुई है? एक बडा आदर्शवादी कदम आप उठाए मुझे कोई एतराज नही है। लेकिन अभी तक उसका इटरप्रेटेशन मालूम नही हुआ है। मै चाहता हू कि मत्री जी बयान देते वक्त बताए कि 153ए के अन्तर्गत क्या हमने किसी को सजा दिलाई है। चुनाव मे सब पार्टिया उतरती है, सब जनता की तकलीफे बढ़ी है और इनको हल करना चाहिये, इसकी दुहाई देती है। अब जो इनके मन के अन्दर की बात है, इसको वे जाने। बाहर और अन्दर की बारीकियो को हमे समझना होगा और उन पार्टियो को खत्म करना होगा जो देश में विष घोलती हैं, जहर

फैलाती हैं, इसान का इंसान से अलग करती हैं, खाई पैदा करती हैं उन में। उन लोगों तथा पार्टियो को काम हमे नहीं करने देना चाहिए।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीति राज सिंह चौधरी) : सभापति महोदय, इस विधेयक का उद्देश्य बहुत सीमित है। इस के जरिये यह माग की गई है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(1) मे "दफा 153ए" के बाद "दफा 153बी" जोड दिया जाये। बहस के दौरान माननीय सदस्यो ने इस विधेयक के उद्देश्य को छोड कर उस के बाहर जा कर, बहुत सी बाते कही है। उन बातो का मै यहा कोई उत्तर नही देना चाहता हू, क्योकि उन का इस बिल से कोई सम्बन्ध नही है ?

जहा तक धारा 153बी का सम्बन्ध है, वह क्रिमिनल ला (एमेडमेट) बिल के जरिये इस सदन ने स्वीकार कर ली है और 14-6-72 से इडियन पीनल कोड मे शामिल हो गई है। उस के अनुसार साम्प्रदायिक और अन्य फूट डालने वाले तत्वों द्वारा आयोजित ड्रिल, व्यायाम और वैसे ही क्रिया-कलाप को विधि के अधीन दडनीय बना दिया गया है। इस बिल का उद्देश्य ये है कि जिन व्यक्तियो को धारा 153बी के अधीन सजा दी जाये, उन्हे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 के अन्तर्गत छ साल के लिए चुनाव लडने के लिए अयोग्य करार दे दिया जाये।

माननीय सदस्यो को याद होगा कि 22 जून, 1971 को इस सदन ने एक प्रस्ताव पास कर के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन के लिए एक ज्वाइट कमेटी बनाई थी। उस ज्वाइंट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट इस सदन और राज्य सभा के सामने प्रस्तुत कर दी हैं। उन रिपोर्टों के पहले भाग में ड्राफ्ट बिल दिया गया है, जिस को ज्वाइट कमेटी ने 6 जनवरी, 1972 को स्वीकार किया था और वह 18 जनवरी, 1972 को इस सदन में प्रस्तुत हुआ था।

जैसा कि मैंने कहा है, दफा 153बी 14-6-72 से इंडियन पीनल कोड का अंग बन गई। इसलिए ज्वायट कमेटी ने जो रिपोर्ट दी, उसमे दफा 153बी के बारे मे कुछ नही कहा गया था क्योंकि उस समय दफा 153बी का अस्तित्व नही था। चूकि अब दफा 153बी इडियन पीनल कोड मे शामिल हो गई है इसलिए जायट कमेटी के ड्राफ्ट बिल के आधार पर शासन बहुत जल्दी एक बिल प्रस्तुत करने वाला है। उस से क्लाज 17 मे दफा 153ए के बाद दफा 153बी जोडने का निश्चय कर लिया गया है।

शासन की ओर से बिल सदन के सामने आयेगा, उस मे श्रीमती सुभद्रा जोशी के बिल मे की गई माग को स्वीकार कर लिया गया है। इस लिए मै उन से प्रार्थना करूगा कि चूकि उन का उद्देश्य शासन द्वारा लाये जाने वाले बिल से पूरा हो जायेगा, इसलिए वह अपने इस बिल को वापिस ले ले। मै श्री डागा से भी निवेदन करूंगा कि वे भी अपने प्रस्ताव को वापिस ले ले।

श्रीमती सुभद्रा जोशी : सभापति महोदय, मत्री महोदय के उत्तर के बाद मै कुछ और कहना चाहती हूं। जिन सदस्यो ने इस बिल का समर्थन किया है, मै उन सब को धन्यवाद देना चाहती हूं। कुछ सदस्यों ने यह संशय प्रकट किया है कि-

(श्रीमती सुभद्रा जोशी)

इस बिल को पास करने से [illegible] को दबाने का प्रयत्न होगा । अगर कानून पर अमल करने वाले सही नही हैं, यह कानून की खराबी नही है, बल्कि सरकार की खराबी हो जाती है लेकिन इस का मतलब यह नही है कि कानून बनाये ही न जाये ।

मत्री महोदय ने यह आश्वासन दिया है कि वह जो बिल ला रहे है, उस मे मेरा यह सशोधन शामिल है । इस लिए मैं उन को बहुत धन्यवाद देती हू । जैसे उन्होने आदेश दिया है मै हाउस से अपना बिल वापिस लेने की इजाजत चाहती हू ।

MR CHAIRMAN Now there is an amendment by Mr M C Daga Do you want to withdraw it?

SHRI M C DAGA Sir, I want the permission of the House to withdraw it

Amendment No 1 was by leave, withdrawn

MR CHAIRMAN Now, the question is

"That leave be granted to Shrimati Subhadra Joshi to withdraw her bill"

The motion was adopted.

SHRIMATI SUBHADRA JOSHI Sir I withdraw the Bill

17 15 hrs

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(*Amendment of Seventh Schedule*) by Shri Arjun Sethi

SHRI ARJUN SETHI (Bhadrak): Sir, I beg to move

"That the Bill further to amend the Constitution of India be taken into consideration"

It needs hardly to be emphasised that the formative period in the life of a child when he is to be imparted primary and secondary education is a very important period. But it is regretable that education in both these stages being in the sphere of States who do not have sufficient funds is most neglected The result is that the children are not even half-educated when they came out of the secondary stage of education. While emphasising the role of education in the national life of India the Education-Commission in 1964 remarked

"The destiny of India is now shaped in her class rooms In a world based on science and technology it is education that determines the level of prosperity, welfare and security of the people The quality and number of persons coming out of our schools and colleges still depend our success in the great enterprise of national reconstruction whose principal objective is to raise the standard of living of our people"

The Education Commission further recommended

"The magnitude gravity and urgency have increased immensely and it has acquired a new meaning and importance since the attainment of independence and the adoption of the policy and techniques of planned development of the national economy If the pace of national development is to be accelerated, there is need for well-defined bold and imaginative educational policy and for determined and vigorous action to vitalise, improve and expand education"

The size and complexity of the problem has been further accentuated with the rapid increase in the population of the country commensurate with the increase in the number of enrolments and with the phenomenal growth of educational institutions itself